

हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

19 दिसम्बर, 2005

खण्ड 3, अंक 3

अधिकृत विवरण



विषय सूची

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(3) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 3
बैठक का स्थगन	(3) 6
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरा रम्भ)	(3) 6
बैठक का स्थगन	(3) 7
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरा रम्भ)	(3) 8
सदस्यों का नाम लेना	(3) 8
सदस्यों का निलम्बन	(3) 9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरा रम्भ)	(3) 10
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 11
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 20
	99

(ii)

अध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

(3) 22

अध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(3) 22

शोधना :

(3) 22

सचिव द्वारा

(3) 22

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

(3) 31

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

(3) 31

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

(3) 32

विधान कार्य—

दि पंजाब एग्जीक्यूटिव को-ऑपरेटिव मार्केट्स (हरियाणा अर्मेंडमेंट) बिल, 2005

(3) 32

दि हरियाणा डिवेलपमेंट एण्ड रीगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अर्मेंडमेंट एंड बंलीडेसन) बिल, 2005

(3) 34

दि हरियाणा स्पेशल इकोनोमिक जोन बिल, 2005

(3) 41

दि हरियाणा म्युनिसिपल (सीकिण्ड अर्मेंडमेंट) बिल, 2005

(3) 55

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असेम्बली स्पीकर एण्ड

डिप्टी स्पीकर सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अर्मेंडमेंट) बिल, 2005

(3) 62

दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मिनिसटर्स (अर्मेंडमेंट) बिल, 2005

(3) 63

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असेम्बली (अलाउंसिज एण्ड पेंशन ऑफ मैसेंजर्स) सीकिण्ड अर्मेंडमेंट बिल, 2005

(3) 66

दि पंजाब मैसैजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (हरियाणा असेडमेंट) बिल, 2005

(3) 69

दि हरियाणा फिस्कल रिसर्वांसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेंट (अर्मेंडमेंट) बिल, 2005

(3) 70

दि हरियाणा मुराह वुफैली एण्ड अदर मिल्ल एनीमल ब्रीड (प्रिजरवेशन एण्ड डिवेलपमेंट ऑफ एनीमल हस्बेडरी एण्ड

डैयरी डिवेलपमेंट सेक्टर) अर्मेंडमेंट बिल, 2005

(3) 75

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असेम्बली (फैसिनिटीज टू मैसेंजर्स) अर्मेंडमेंट बिल, 2005

(3) 76

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक साथी श्री पी०एम० सईद बहुत ही वरिष्ठ नेता थे उनकी सिओल में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई मैं उनके लिए शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूँ। यह सदन केन्द्रीय मंत्री श्री पी०एम० सईद के 18 दिसम्बर 2005 को हुए अचानक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 मई 1941 को हुआ। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आर्ट्स बंगलौर से बी० काय की और सिद्धार्थ लॉ कॉलेज मुंबई से एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। वे सन 1967 से 1999 तक लगातार 10 बार लक्षद्वीप से लोकसभा के सांसद बने तथा चौथी लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद भी बने। वे 1980 तथा 1993-94 में केन्द्र में राज्य मंत्री रहे। एक सांसद के रूप में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें 12वीं और 13वीं लोकसभा का उपध्यक्ष बनाया गया। 2004 में वे जब लोकसभा के लिए चुने गये तो उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया और उनके निधन के समय तक वे इस पद पर बने रहे। श्री सईद सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का समान रूप से आदर करते थे। वे कई माननीय संसदीय समितियों के सदस्य रहे और कई सलाहकार समितियों से जुड़े रहे। उन्होंने कई देशों की यात्राएँ भी की। उन्होंने विदेशों में कई भारतीय शिष्टमण्डलों का प्रतिनिधित्व किया। उनकी बुद्धिमता और दूरदर्शिता के लिए उन्हें सदैव याद रखा जायेगा। उनके निधन से देश एक अनुभवी योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। निश्चित तौर पर वे मेरे साथ तीन बार लोकसभा के सांसद रहे। वे व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र थे। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। दूसरे कल चेत्रई में भगदड़ से हुए हादसे में जो 44 लोगों की मृत्यु हुई है। यह सदन 18 दिसम्बर 2005 को तमिलनाडु के चेन्नई में बाढ़ राहत केन्द्र में हुई भगदड़ में मरने वाले भासूमों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के परिवारों के प्रति शोक प्रकट करता है तथा अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०) : माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया है मैं भी उसका अनुमोदन करता हूँ तथा सभी दिवंगत के परिवारों के प्रति अपनी तरफ से अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी के नेता चौधरी ओमप्रकाश थोटाला की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। यूनिवर्स मिनिस्टर श्री पी०एम० सईद का हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हुआ जिस तरह से माननीय

[डॉ० सुरजीत इंदौरा]

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और बहुत अच्छे प्रशासक और अच्छे राजनीतिज्ञ थे जो लम्बे समय तक लोकसभा के सदस्य रहते हुए उन्होंने एक सांसद के तौर पर देश की सेवा की। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूँ। मैं जब लोकसभा का सांसद था उस वक्त वे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर थे और उनका व्यवहार सभी माननीय सदस्यों के साथ एक जैसा होता था और वे भेदभाव से परे थे। मैं गुरुद्वारा रकाबगंज रोड़ पर रहता था और वे भी उसी जगह रहते थे इसलिए मुझे उनसे मिलने का कई बार सौभाग्य मिला। मैं कई बार उनके पास चला जाता था क्योंकि अनुभवी सांसद होने के नाते मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हालांकि वे कांग्रेस पार्टी के सांसद थे लेकिन वे इतने अच्छे आदमी थे कि उनके अनुभव का हमें बहुत लाभ मिलता था। इसलिए उनके अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से बिना भेदभाव के सदन की सेवा करनी है। उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी के नेता की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार कल जो चेन्नई में हादसा हुआ जिसमें लोग बाढ़ राहत सामग्री के कूपन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे और अचानक ऐसा हुआ कि भीड़ में भगदड़ मची जिसके कारण 44 आदमियों की मृत्यु हो गई। उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी के नेता की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री रामकुमार गौतम (नारनौद) : अध्यक्ष महोदय, मैं पी०एम० सईद जी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। सईद जी बहुत बड़ी शखसियत के इन्सान थे और बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से और अपने चाहने वालों की तरफ से उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। चेन्नई में जो हादसा हुआ है यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है, मैं समझता हूँ कि सारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऐसे हादसे से सबक सीखना चाहिए ताकि ऐसा हादसा दोबारा कहीं न घटे इसके लिए पूरे ऐहतियात बरतने चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने चाहने वालों की तरफ से इस हादसे पर शोक प्रकट करता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the feelings of sorrow at the sad demise of Shri P.M. Sayeed who was a Union Minister. Shri. P.M. Sayeed has been elected to the Lok Sabha from Lakshadweep ten times. He was first inducted in the Government in 1979-80 thereafter he served Union Government in various capacity. He also remained Deputy Speaker of the Lok Sabha from 1999 to 2004. He was able administrator. His wisdom would be remembered by the countrymen for long. At Chennai in the tragic incident 44 persons have been killed in a stampede at the food relief camp, I also associate myself with my sympathy with their bereaved families. Hon'ble Members, I will convey deep sympathy of this House to the bereaved families. Now, I would request you to stand and observe silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the departed souls.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मेम्बर साहेबान, अब सवाल-जवाब होंगे।

Construction of the roads of Sonapat District

*127. Sh. Dharmpal Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the sanction for the construction of the following roads of district Sonapat have been accorded :

1. Lath to Guhna via Bhainswal Kalan ;
2. Kailana Khas (Gohana) to Khanpur Kalan;
3. Moi Hooda to Kahni;
4. Rukhi to Moi Hooda;
5. Nayat to Gamri;
6. Kakana Bahaduri to Saragthal;
7. Khanpur Kalan to Mundlana;
8. Bidhal to Jauli;
9. Bidhal to Lath;
10. Jauli to Saragthal;
11. Dodwa to Bohla;
12. Dodwa to Jauli;
13. Rolad Latifpur to Chatia Deva;
14. Jasrana to Gorar;
15. Giwana to Rurki;
16. Bilbilan to Jasrana;
17. Kasanda to Kakana Bahaduri;
18. Kasandi to Khanpur Kalan Purchase Centre;
19. Kasandi to Bazana;
20. Saragthal to Dubeta; and
21. Moi Hooda to Rithal;

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed/ completed ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir

(b) The question does not arise.

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसे मामले की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि परिवहन मंत्री का नाम बोलकर रिपोर्ट में उजागर हुआ है। (शोर)

Mr. Speaker : Listen Mr. Indora ji' let the question hour be over. I know you are to say something but this is not the time. (Interruptions).

श्री सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें। (शोर)

Mr. Speaker : I am very sorry to say, Mr. Indora ji listen to me. (Interruptions) Indora ji, would you please listen to me.

श्री सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. Please listen. (Interruptions). Mr. Indora ji, this is not the time. Please let the question hour be over. If you want to walk-out now, you can. Let the question hour be over.

श्री सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर)

Mr. Speaker : No, no this is not the way, Mr. Indora. I will not approve it. (Interruptions).

श्री सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब * * * * *(शोर)

Mr. Speaker : No more, Mr. Indora ji. Please don't do like this, Mr. Indora ji. This is not the way. This is absolutely wrong. Nothing to be recorded.

श्री सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब * * * * *(शोर)

Mr. Speaker : Mr. Indora ji, this is not the way. Let them say whatever they want. Nothing to be recorded. (Interruptions).

श्री सीता राम : स्पीकर साहब, * * * * *(शोर)

Mr. Speaker : Sita Ram Ji, I say this is not the way, please take your seat.

श्रीमती रेखा राणा : स्पीकर साहब * * * * *(शोर)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, तुसी क्यों इन्हां दे आखे लगदे हो, तुसी गल सुनो (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded without my permission. (Interruptions).

श्री बलवंत सिंह सढौरा : स्पीकर साहब, * * * * *(शोर)

* Nothing has been recorded as ordered by the Chair.

Mr. Speaker : Balwant Singh ji, this is not the way. Nothing to be recorded without my permission. (Interruptions).

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें (शोर)

Mr. Speaker : Indora ji, we think that you are a senior-most member but from the appearance it looks that new members are behaving better than you. Mr. Indora ji, this is not the way. Your Master will appreciate your feelings today what you are expressing in the House.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, ***** (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Indora, would you please allow me to say. (Interruptions)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, ***** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीताराम : स्पीकर सर, ***** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let the Question Hour be over. Please sit down. (Interruptions).

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dharampal Ji, you put the supplementary. (Interruptions).

डॉ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, ***** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हम दागी मंत्री से जवाब नहीं सुनेंगे। दागी मंत्री को मंत्री मण्डल से बरखास्त किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This is not the way. I will not allow it. (Interruptions). Let the Question Hour be over.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जगत सिंह जी ने कहा है कि उस समय के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको इराक जाने के लिए अनुमति दी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी से धिन्ती है कि आप पहले प्रश्नकाल होने दें उसके बाद आप अपनी बात कह लेना। आप सभी कृपा करके अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)
Mr. Dharampal Malik, please proceed.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हम दागी मंत्री से जवाब नहीं सुनेंगे। दागी मंत्री को मंत्री मण्डल से बरखास्त किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सुढौरा : अध्यक्ष महोदय, हम दागी मंत्री की बात नहीं सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

* Nothing has been recorded as ordered by the Chair.

श्रीमती रेखा राणा : अध्यक्ष महोदय, ***** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No one is Daagi. (Interruptions) This is not the way. बहन जी, आपको तो ये उकसाते हैं और ऐसे ही साथ ले लेते हैं। आप प्लीज बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, ***** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Behave like legislator. (Interruptions) Mr. Indora, this is not the way.

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की धूल में आ गए।)

Mr. Speaker : Go to your seats. (Interruptions). Please stop it. This is not the way. Go to your seats.

डा० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। दागी मंत्री को बरखास्त किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I say take your seat. आपका प्रोटेस्ट हो चुका है। प्लीज अब आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)।

डा० सीता राम : स्पीकर सर, दागी मंत्री को बरखास्त किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Indora, let him proceed. (Interruptions) Would you please allow to proceed? (Interruptions) Listen Mr. Indora, Hon'ble Chief Minister wants to say something.

मुख्य मंत्री (बीधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का व्यवहार अप टू दि मार्क नहीं है और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब मेरे साथ सांसद-रहे हैं इनको विधान सभा के कायदे कायून का भी ज्ञान होना चाहिए। (विघ्न एवं शोर) ये लोग एक फोटोस्टैट कॉपी लेकर घूम रहे हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। (विघ्न एवं शोर)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, हमारे पास उस लैटर की कापी है। (शोर)

Mr. Speaker : Indora Sahib, please take your seat. This is not the way. (Interruptions and noise) No, Indora Sahib, please take your seat. This is not the way. (Interruptions and noises) Now, the House is adjourned till 2.30 P.M. today.

(The Sabha then adjourned at 2.20 P.M. and re-assembled at 2.30 P.M.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now the Question Hour is again resumed and Shri Dharam Pal Singh Malik to put his supplementary (Interruptions).

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि----- (शोर)

बैठक का स्थगन

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *
 * * * * *
 * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, it will not be the part of the proceedings (Interruptions) Firstly, it has not been proved. (Interruptions) Listen, it has not been proved. Secondly, the inquiry is before the former Chief Justice of Hon'ble Supreme Court of India. (Interruptions) I know fully well what you want. (Interruptions & noise) But as Speaker, I do not want कि वो पोजीशन आए। इन्दौरा जी, मैंने आपको यह लैटर सदन के पटल पर रखने की इजाजत नहीं दी है। आप जो चाहते हो वह पोजीशन मैं नहीं आने देना चाहता हूँ। आप कृपया सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, यह एक बहुत ही अहम् मसला है। जिस मामले में श्री नटवर सिंह और उनके बेटे श्री जगत सिंह का नाम आया है यह भी वही मामला है इसलिए हम चाहते हैं कि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I request you to let the House proceed. This is not the way in which you are behaving. (Interruptions) No, no this is not the way, Mr. Indora. (interruptions) इन्दौरा जी, यह मसला ऐसे हल नहीं होगा। आप कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) I will not allow any such proceedings to continue. (interruptions) No, your question is not at all relevant. Absolutely not relevant. The matter is being considered. His signatures are not proved. (interruptions) No, it is not a part of the proceedings. (Interruptions)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी उपस्थित माननीय सदस्यगण सदन की वेल में आ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे।)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे पर कुछ न बोलें क्योंकि यह मुद्दा यहाँ पर डिस्कस करने का नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, यह एक अहम् मसला है इससे पूरे देश की बदनामी हुई है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप जैसी पार्टी भी यह बात बोलें यह बात समझ नहीं आती। आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइये और आप मत बोलिये लेकिन आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं इसलिए हाउस को तीन बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

(The Sabha then adjourned and reassembled at 3.00 P.M.)

* घंटी के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now the Question Hour is again resumed and Shri Dharam Pal Singh Malik to put his supplementary (Interruptions).

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ----- (शोर)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded without my permission.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर * * * * *

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, जो यह लैटर दिखा रहे हैं उस लैटर के अन्दर कुछ नहीं है this letter does not mean anything.

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप मर्यादा मत गवाईये। आप सभी मेम्बरज अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं इस तरह से हाउस की मर्यादा क्यों गंवा रहे हो। आपने यह मन बना लिया है कि हमें हाउस नहीं चलाने देना। I will not allow it. (Interruptions) This is not the way. (Interruptions) Nothing is to be recorded without my permission.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, * * * * *

Mr. Speaker : Please take your seats otherwise I will have to name all of you (Interruptions).

डा० सीता राम : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (विघ्न)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : सर, इस लैटर के मायने कुछ नहीं हैं। It does not have anything. It is a general letter.

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, मैंने आप सभी सदस्यों से विनती की है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये आप क्यों तकलीफ करते हो। आप बैठ जाओ। बहन रेखा जी आप छोटी बहन है इसलिए छोटी बहन को कहना मेरा हक बनता है कि इनकी बातों में मत आना अपनी सीट पर बैठ जाओ। (शोर एवं विघ्न)

सदस्यों का नाम लेना

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, इन्हारे पास सबूत है। मैं आपकी इजाजत से इस लैटर की कापी सदन की मेज पर रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं देता। (विघ्न एवं शोर)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Indora, please take your seat otherwise I will have to name all of you.

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सभी उपस्थित माननीय सदस्यगण सदन की घेल में खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the House was adjourned by me twice. Despite my best efforts, the Hon'ble Members of Indian National Lok Dal have not allowed to proceed with the Question Hour. The discussion on the subject matter which they are raising in the House would cause prejudice to the course of justice as the matter is already under examination by a body headed by former Chief Justice of India. Under such circumstances, I cannot allow discussion on the subject. The behaviour of Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh Sadhaura, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Palaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana has been grossly, disorderly and irresponsible. Therefore, I name the above-said all the Members for their grossly, disorderly behaviour in the House. They may please leave the House (Interruptions).

(At this stage all the Members of Indian National Lok Dal present in the House continued to obstruct the proceedings of the House. The Speaker asked them to withdraw from the House but they did not withdraw from the House.)

सदस्यों का निलम्बन

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, इनका बिहेवियर ठीक नहीं है इसलिए इनको हाऊस से सस्पेंड किया जाए।

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move—

That Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh Sadhaura, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Plaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana, MLAs be suspended from the service of this House for their mis-conduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the day's sitting of the present Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh Sadhaura, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Plaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana, MLAs be suspended from the service of this House for their mis-conduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the day's sitting of the present Session.

Mr. Speaker : Question is—

That Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh Sadhaura, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Plaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana, MLAs be suspended from the service of this House for their mis-conduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the day's sitting of the present Session.

The motion was carried.

(At this stage all the Members of Indian National Lok Dal present in the House continued to obstruct the proceedings of the House. The Hon'ble Speaker, asked all the suspended members leave the House but they did not withdraw from the House.)

Mr. Speaker : Listen, Hon'ble Members, it is better for you to go out from the House because the motion has been passed by the Assembly. (Interruptions & noise). It is better to go out from the House. (Interruptions & noise). I do not want to use other force. (Interruptions). Please do not do like this. This is not the way. (Interruptions & noise). This is not the way. (Interruptions & noise). Marshal, please remove them out of the House. This is not the way. I will not allow it in the House. (Interruptions & noise). Now, please go. Please, go now. (Interruptions & noise). Please go, please go. Behan ji, please go. Nobody will touch her. Please go.

(At this stage Dr. Sushil Kumar Indora, a member of the Indian National Lok Dal and other members of his party were escorted out of the House by the Sergeant-at-Arms)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरावृत्ति)

Mr. Speaker : Shri Dharam Pal Singh Malik ji, please now put the supplementary again.

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत एक्सट्रा ऑर्डिनरी ढंग से बना था, जबकि जवाब इसके अनुपात में बहुत छोटा सा दिया गया है। मुझे उम्मीद थी कि कहीं तो किसी गांव की सड़क को मंजूरी मिलेगी लेकिन कोरा जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय, स्टेट के अन्दर बाई पास निकालने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। गोहाना की स्थिति ऐसी है जोकि स्टेट के बिल्कुल सेंटर में है। कोई उसरी हरियाणा की बात करता है कोई दक्षिणी हरियाणा की बात करता है सबको गोहाना से ही निकलकर जाना पड़ता है। वहां बहुत कंजस्वर्न है और बहुत बुरा हाल है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या गोहाना में बाई पास मंजूर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के अंदर है या नहीं ?

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साक्षी को बताना चाहूंगा कि यह एक पृथक प्रश्न है, माननीय सदस्य लिखकर भेज दें, उनको अवश्य जवाब दे दिया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब था, अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे हाउस को बताना चाहता हूँ कि ये सारे गांवों के नाम जो कि माननीय सदस्य ने दिए हैं वे एक या एक से ज्यादा सड़कों से अभी भी जुड़े हुए हैं फिर भी माननीय सदस्य ने जो नाम बताए हैं इनमें से सीरियल नं० 4, 6, 8, 9, 10 और 19 नम्बर, पर जिन गांवों की सड़कों की बाल है, उनके एस्टीमेट्स अलग से मार्कीटिंग बोर्ड में भेजे गए हैं जो इस समय मार्कीटिंग बोर्ड के पास विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

**नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर**

Upgradation of Sub-stations

*132. Shri Naresh Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following sub-stations in Ateli Constituency :

(i) Village Lahroda;

(ii) Kadipuri ; and

(iii) Dhani Bhatoto; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to set up additional transformers in Ateli Mandi ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) (i) गांव लहरोदा में 11 के०वी० लिफ्ट पम्प हाऊस (एन०वी०-6 केन्द्र) को 2x5 एम०वी०ए० क्षमता के साथ 33 के०वी० स्तर तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

(ii) नहीं, श्रीमान्।

(iii) 33 के०वी० उपकेन्द्र ढाणी भटोटा को 132 के०वी० स्तर तक अपग्रेड करने या इसके समीपवर्ती क्षेत्र में एक नया उपकेन्द्र बनाने के प्रस्ताव का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करके 132 के०वी० उपकेन्द्र अटेली भण्डी की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Quantum of Electricity Produced

*141. **Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the quantum of electricity produced in the months of June, July, August during the year 2004 and 2005, separately ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान्, विधरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 2004 एवं 2005 के दौरान जून, जुलाई तथा अगस्त के महीनों में उत्पादित बिजली की मात्रा के संबंध में विवरण निम्न प्रकार से है :—

मास	वर्ष 2004 में उत्पादित बिजली की मात्रा (लाख यूनिटों में)	वर्ष 2005 में उत्पादित बिजली की मात्रा (लाख यूनिटों में)
जून	4623	7406
जुलाई	6300	7695
अगस्त	5140	7642

Sale of Irrigation Rest Houses/Lands

*158. **Shri Tejender Pal Singh Mann :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the State Government has instituted any enquiry in regard to the sale of Irrigation Rest Houses and Land of Irrigation Department in the State during the regime of previous Government; and

(b) if so, whether some officers have been questioned in this regard ?

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) जी हां, श्रीमान् जी। राज्य सरकार ने यह अनुमति किया है कि कुछ मामलों में सिंचाई विभाग की भूमि अधिकतर केवल आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम की गई है जबकि ऐसी भूमि को नीलाम नहीं करना चाहिए था। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच सिंचाई विभाग के सतर्कता विंग से करवाई जाए।

(ख) यह विषय जांच अधीन है।

Construction of Building of Government Hospital, Narnaul

***137. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the building of Government Hospital, Narnaul City is in dilapidated condition; if so, the time by which the new building for the said hospital is likely to be constructed;
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct 50 beds Hospital at Nangal Chaudhary;
- (c) the total number of sanctioned posts of doctors in the Government Hospitals in Narnaul area; and
- (d) the number of doctors are working presently in the aforesaid Hospitals against the sanctioned posts referred to in part (c) above; togetherwith the time by which the vacant posts of doctors are likely to be filled up ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) :

- (क) नहीं, श्रीमान जी ।
- (ख) नहीं, श्रीमान जी ।
- (ग) 97
- (घ) 66 रिक्त पद शीघ्र भर दिये जायेंगे ।

Completion of the Roads

***178. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the time by which the construction work of Budana to Moth and Datta the Buyana Khara roads in Narnaund Constituency is likely to be started which are lying incomplete;
- (b) whether the Government is aware of the fact that the road from Bass to Puthi in Narnaund Constituency mostly remains closed due to stagnation/flowing of water on this road; and
- (c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the level of the said road ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- (क) (i) बुडाना से मोट सड़क का कार्य जनवरी, 2006 तक शुरू किया जाएगा ।

- (ii) डाटा से बंधाना खेड़ा के लिए समय नहीं दिया जा सकता चूंकि सड़क का निर्माण सुलभ कोष की उपलब्धता पर निर्भर है।
- (ख) नहीं, श्रीमान् जी। केवल 6 किलोमीटर में से एक किलोमीटर लम्बाई बांस गांव से नजदीक भारी बरसात के दौरान प्रभावित होती है।
- (ग) हां, श्रीमान् जी।

Providing of Drinking Water

***207. Shri Bachan Singh Arya :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

- (a) whether the Government is aware of the fact that underground water of Old Grain Market, Pillu Khera and populous area of Mandi is bitter and unfit for drinking; and
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water to the aforesaid area during the current financial year ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- (क) जी हां श्रीमान्, पिल्लुखेड़ा मण्डी में।
- (ख) जी हां श्रीमान्। उपरोक्त क्षेत्र में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए गांव बुडैन और अमराली खेड़ा के नजदीक दो ट्यूबवैल लगाए गए हैं। यह ट्यूबवैल शीघ्र ही धालू हो जाएंगे।

Replacement of Obsolete Electricity Wire

***186. Shri Sukhbir Singh Sohana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the obsolete electricity wire with new wire in district Gurgaon; if so, the detail thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां श्रीमान्, पुरानी तथा जीर्ण-शीर्ण बिजली की तारों को आवश्यकतानुसार नियमित रूप से उतार कर इन्हें नई तारों के साथ बदला जा रहा है।

Pump Houses of Loharu Canal

***221. Shri Somvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Irrigation Department has got its own separate line for the pump houses of Loharu Canal but the tubewell connections have been released to the general farmers from these lines due to which the pump houses rendered unfunctional again and again on account of overload;
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to disconnect other connections from the separate lines

of the Irrigation Department; if so, the time by which these connections are likely to be disconnected;

- (c) the time by which the 33 KV Power House of Berla will be constructed for canal; and
- (d) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace or repair the transformers or other equipments of less capacity installed on the pump houses together with the time by which these are likely to be replaced or repaired ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- (क) हाँ श्रीमान्, सिंचाई विभाग के पास लोहारू नहर के पम्प घरों की बिजली आपूर्ति के लिए 33 के०वी० उपकेन्द्र बेरला से निकलने वाला स्वतन्त्र फीडर (लाइन) है। आपातकाल में इस लाइन से तीन पब्लिक वाटर वर्क्स कनेक्शन, एक आई०टी०आई० कनेक्शन तथा किसानों के कुछ नलकूप कनेक्शन भी दिए गये थे।
- (ख) हाँ श्रीमान्, इन कनेक्शनों को अन्य ग्रामीण फीडरों पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है तथा यह शिफ्टिंग का कार्य दो महीने के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।
- (ग) बेरला में पहले ही एक 33 के०वी० उपकेन्द्र है। बेरला में एक अतिरिक्त 5 एम०वी०ए० विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया है तथा 30-11-2005 को 33 के०वी० उपकेन्द्र बेरला में लोहारू नहर पम्प घरों के लिए अनन्य रूप से बालू किया गया है।
- (घ) लोहारू पम्प घर पर कम क्षमता ट्रांसफार्मरों तथा पुराने विद्युत उपकरणों को बदलने के लिए एक प्रस्ताव है तथा इन्हें 6 महीने के अन्दर बदल दिया जाएगा।

Advalorem Court fee

*268. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) whether the Court fee at the Advalorem rate leviable on institution of Civil suits in Haryana State is much higher in comparison to Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh and Delhi; and
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to bring the aforesaid court fee in Haryana at par with Chandigarh and Punjab ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी, नहीं।

Construction of Toilets for Women

*228. Smt. Geeta Bhukal }
Shri S.S. Surjewala } : Will the Chief Minister be pleased

to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct toilets especially for the women belonging to Scheduled Castes and Economically Weaker Section in the rural areas in the State ; if so, the amount earmarked in the budget for the current financial year ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी हाँ, श्रीमान् जी। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में व्यक्तिगत शौचालय एवं महिला सामुदायिक शौचालय परिसर गरीबी रेखा से नीचे के स्तर से संबंधित महिलाओं के लिए बनवाए जा रहे हैं जिनमें अनुसूचित जातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाएं भी शामिल हैं। इस चालू वित्तीय वर्ष में बजट में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 10.36 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है।

Construction of a Sports Stadium at Samalkha

*296. Shri Bharat Singh Chhokar : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sports stadium in Samalkha; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Regularisation of Unauthorized Colonies

*234. Shri Shadi Lal Batra }
Kumari Sharda Rathore } : Will the Minister for Urban
Development be pleased to state—

- (a) the steps Government is taking to control the mushroom growth of colonies in illegal manner around the cities in the State in violation to the law enforced at present; and
- (b) whether the State Government has made any plan to regularize the unauthorized colonies in existence for the last more than ten years and basic amenities have been provided to the inhabitants of these colonies ?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

- (क) सरकार ने राज्य में शहरों के चारों ओर अवैध रूप से पनप रही कालोनियों को रोकने के लिये हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 बनाया है। यह अधिनियम, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा लागू व क्रियान्वित किया जा रहा है।

- (ख) राज्य सरकार ने दिनांक 11-12-2004 को सभी अनाधिकृत कालोनियां, जो दिनांक 30-11-2004 को 50 फीसदी या अधिक निर्मित प्लॉटों एवं वाहनों विशेषकर अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिये पर्याप्त चौड़ी सड़कों का मापदण्ड पूरा करती हों, को नियमित करने का निर्णय लिया। इस नीति अनुसार सरकार उपायुक्तों से प्राप्त प्रस्तावना के आधार पर इन अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने पर विचार करेगी। सभी नियमित कालोनियों में पालिकाओं को मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करना होगा। चूंकि दिसम्बर, 2004 में काफी संख्या में अनाधिकृत कालोनियां नियमित की गई थीं, इन कालोनियों में चरणबद्ध तरीके से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिये पालिकाएं प्रयास कर रही हैं।

Construction of Water Works at Village Chidar

*291. Shri Kulvir Singh : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a water works at village Chidar in district Fatehabad; and
(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) जी हां श्रीमान्—

(ख) नहरी पानी पर आधारित 103.50 लाख रुपये की एक योजना अनुमोदित की जा चुकी है और यदि जलघर के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी जाती है तो यह योजना 31-3-2007 तक चालू होने की संभावना है।

Irregularity in the nomination to the HCS Posts

*255. Smt. Kiran Chaudhary : Will the Chief Minister be pleased to state whether there have been irregularities/illegalities in nomination from amongst Class-III employees of Haryana Government to HCS posts during the last regime of previous Government; if so, the action taken in this respect ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : पूर्व सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से एच०सी०ए०ए० पदों के लिए की गई भर्ती के संबंध में कुछ अनियमितताओं/अवैधताओं के आरोप सरकार के ध्यान में आए हैं तथा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

वर्ष 1999 व 2004 में की गई नियुक्तियों को सिविल रिट पेटिशनर के माध्यम से चुनौती दी गई है।

Promoting of Girl's Education

*307. **Kumari Sharda Rathore** : Will the Minister for Education be pleased to state the steps taken so far or proposed to be taken by the Haryana Government for promoting the Higher Education of girls togetherwith the number of new colleges for girls opened by the present Government so far ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : हरियाणा सरकार ने लड़कियों की उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम सहाये हैं :--

1. राजकीय तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
2. राज्य में 45 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं।
3. छात्रों में लिंग-भेद संवेदनशीलता तथा महिला अधिकारिता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ है।
4. विभाग द्वारा महिला अधिकारिता पर सेमिनारों/ कान्फ्रेंसों का आयोजन किया जाता है तथा इन सेमिनारों / कान्फ्रेंसों के आयोजन में गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित किया जाता है।
5. 10+2 परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति स्कीम है। छात्रवृत्ति की दर 3000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष है। इस वर्ष के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 18 लाख रुपये का बजट उपलब्ध है।

वर्तमान सरकार द्वारा जीन्द में राजकीय महिला महाविद्यालय खोला गया है। कनीना (महेन्द्रगढ़) तथा गन्नौर (सोनीपत) में निजी कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए दो अनापति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

Providing of Compensation to the Farmers

*276. **Shri Ram Kishan Fauji** : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

- (a) whether it is a fact that the crops of Bajra, Cotton and Guar of the farmers of Loharu and Siwani have been damaged due to non-supply of canal water in time; and
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the aforesaid farmers ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Opening of Government College at Kaithal

*249. Shri S.S. Surjewala : Will the Minister for Education be pleased to state —

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Kaithal, with professional/vocational of both science and non-science subjects ; and
(b) whether the Gram Panchayat of Jagdish Pura (Kaithal) has offered to donate 12 acres of shamlat land for opening of the said college ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

- (क) जी, नहीं।
(ख) हां श्रीमान् जी।

Improvement in Supply of Drinking Water

*301. Prof. Chhatar Pal Singh : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether State Government has formulated any scheme to improve the supply of drinking water in the State ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : जी हां श्रीमान् । राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति में सुधार का प्रस्ताव है । खालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान 840 गांवों और 28 शहरों में पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है ।

Holding of Land Consolidation

*286. Shri Ranbir Singh Mahendra : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for holdings of land consolidation of the villages Prem Nagar and Leghan in Bhiwani district, if so, the time by which the work for the holding of land consolidation of said villages are likely to be started ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : गांव प्रेमनगर तथा लेघां, जिला भिवानी में भूमि की चकबन्दी का कार्य पहले से ही शुरू किया हुआ है और इन दोनों गांवों में कार्य दिसम्बर, 2006 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Generation Capacity of Power

10. **Dr. Sushil Indora** : Will the Chief Minister be pleased to state —

- the total addition done in the generation capacity of power (electricity) in MW during the period from 24th July, 1999 to 31st July, 2005;
- the total generation capacity of power till 24th July, 1999; and
- the steps are being taken by the present Government to add new generation capacity of power ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- 24 जुलाई, 1999 से 31 जुलाई, 2005 तक की अवधि के दौरान बिजली की उत्पादन क्षमता में की गई कुल वृद्धि 724.4 मेगावाट है।
- हरियाणा राज्य में 24 जुलाई, 1999 तक अपने उत्पादन केन्द्रों (थर्मल एवं हाईड्रल) से उत्पादन क्षमता 863 मेगावाट थी।
- वर्तमान सरकार राज्य में यमुनानगर में 600 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित प्लांट लगा रही है तथा राज्य में सरकारी/निजी क्षेत्र में, लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के गैस/कोयला आधारित प्लांट लगाने की योजना बना रही है। सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल जैसे राज्यों के साथ संयुक्त रूप से पन बिजली परियोजनाएँ स्थापित करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

Providing of Employment Opportunity

13. **Sh. Naresh Yadav** : Will the Minister for Labour & Employment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more employment opportunity to the un-employed youth in the State; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा और अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के

विचाराधीन प्रस्तावों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति, 2005 तैयार करके लागू की जा चुकी है। इस नीति के अनुसार घरेलू तथा विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अतः इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, नियमों एवं विनियमों का सरलीकरण, संस्थागत प्रणाली का सुदृढीकरण तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहन तथा रियायतें देने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार नई औद्योगिक सम्पदायें, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक माडल टाउनशिप, थीम पार्क, फूड पार्क, अपेसल पार्क, तकनीकी पार्क, फुटवीयर एंड लैदर गारमेंट पार्क तथा कुण्डली मानेसर-पलवल एक्सप्रेस मार्ग के साथ लगते विशेष स्थानों पर पेट्रो कैमिकल हब तथा इकोनोमी हब विकसित कर रही है। इन कदमों से अगले 10 साल में 10 लाख लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा होने का अनुमान है।

भारत सरकार द्वारा कुछ जिलों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना शुरू की गई है जिसमें हरियाणा राज्य का महेंद्रगढ़ जिला शामिल है। यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत हर उस परिवार जिसके व्यस्क सदस्य गांव में अकुशल हाथ से काम करने के लिए इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए निश्चित वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है जिसका एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये व्यक्तियों को राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी तथा इसके लिए 90% फण्ड भारत सरकार तथा 10% फण्ड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाएंगे।

अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न अक्षय ऊर्जा उपकरणों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए 380 आई०टी०आई० पास श्रेजगारों को ट्रेनिंग देकर स्व-रोजगार पैदा करना प्रस्तावित है।

मत्स्य पालन विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में लागू की जा रही केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं के अन्तर्गत 500 व्यक्तियों को स्व-रोजगार प्रदान कराने का प्रस्ताव है।

पशु पालन एवं डेरी विकास विभाग द्वारा लघु डेरी तथा 574 शूकर, भेड़ तथा शंकर बछड़ी पालन इकाईयां स्थापित करके स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करना प्रस्तावित है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति के 15,000 व्यक्तियों को स्व-रोजगार के लिए 4971 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है।

हरियाणा पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान 5000 व्यक्तियों को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

हरियाणा डेरी विकास सहकारिता फैडरेशन लि० द्वारा सहकारी दुग्ध समितियों की संख्या 1000 करके, 500 स्व सहायता समूहों को डेरी सहकारी समितियों में परिवर्तित करके, लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर, दुग्ध टण्डा करने के लिए 200 विशाल मिल्क कूलरस लगाकर, मिल्क बूथ स्थापित करके तथा आईस्क्रीम संयंत्र स्थापित करके परोक्ष रूप से 2220 व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा 37,700 व्यक्तियों को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 10,070 महिला लाभार्थियों को स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 237.50 लाख रुपये की अनुदान राशि तथा 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 376.20 लाख मार्जिन मनी की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड, हरियाणा द्वारा 4875 लाख रुपये की लागत के 54,16,666 कार्य दिवस उत्पन्न करना प्रस्तावित है।

Number of Houses/Plots Allotted to EWS

20. Sh. Naresh Yadav : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of plots/houses allotted to the persons belonging to the Economically Weaker Section in the State during last ten years ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, राज्य में गत दस वर्षों अर्थात् 1996-97 से 2005-06 (30-11-2005 तक) के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को 1939 प्लॉट और 667 मकान आवंटित किए गए हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कार्लिंग अटेंशन मोशन दिया है regarding investigation of charges against former Chief Minister Shri Om Prakash Chautala, his sons, associates and other officials by Central Bureau of Investigation उसका क्या फेट रहा ?

श्री अध्यक्ष : वह गुवर्नमेंट को कमेंट्स के लिए भेजा गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Dr. Sushil Kumar Indora and three other M.L.As. regarding shortage of supply of power in Haryana particularly in rural areas. He may read out his notice. He is not present in the House. Hence, the notice is not read out.

घोषणा

सचिव द्वारा—

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

Secretary : Sir, I have to inform the House that the President has withheld his assent from the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill, 2002 and the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill, 2002, which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session held in October, 2002.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move motion under Rule 15.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, आज जो विपक्ष के साथियों ने जिस तरह की भूमिका अदा की है खासतौर पर इण्डियन नेशनल लोकदल के साथियों ने, उसकी जिलनी भर्त्सना की जाये उतनी थोड़ी है। सर, हमने यह चाहा था कि स्वस्थ परम्परायें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं उनको यहां सदन में शुरू करें और उसी को शुरू करने का एक प्रयास आपने भी किया कि जो मुद्दा विपक्ष के साथियों ने यहाँ उठाया जिसको यहाँ उठाने का कोई औचित्य नहीं था उस पर आपने दो बार सदन को एडजोर्न किया। एक बार 10 मिनट के लिए और दूसरी बार 20 मिनट के लिए। स्पीकर सर, इसमें आपकी और सदन की नंशा यही थी कि सदन में स्वस्थ परम्परायें कायम हों। स्वस्थ परम्परा का मतलब यह है कि जब कोई मंबर किसी बात को लेकर एजीटेड हो तो सदन एडजोर्न होने के बाद सोचने का मौका मिलता है कि वे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वे अपनी बात पर अड़े रहे उससे लगता है कि जब वे सत्तासीन थे जब उन्होंने जो परम्परायें यहाँ कायम की थी वे गलत कायम की थी और अब भी वे उन्हें जारी रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी सदस्य को सदन से नेम करें या हमारे मंत्री किसी माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकालने की बात कहें। लेकिन इस किस्म के व्यवहार की, इस किस्म के प्रदर्शन की जो विपक्ष के साथियों ने किया उसकी जिलनी भर्त्सना की जाये, खण्डन किया जाये, यह कम है। स्पीकर सर, मैं यह चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे सदस्य जो पहली बार सदन में खुनकर आए हैं उनको तो यह सीखना चाहिए कि सदन की क्या परम्पराएं हैं। जैसे सदन कैसे चलता है, किस परिस्थिति में उनका बैठना अनिवार्य है और किस परिस्थिति में वे अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार यहाँ सदन में विपक्ष के साथियों का रहा उससे यह लगता है कि उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है कि हरियाणा की 2.25 करोड़ जनता उनको देख रही है। जनता सदस्यों को यहां अपने हितों की रक्षा करने के लिए चुनकर भेजती है लेकिन विपक्ष के साथी अपनी संसुष्टि इस बात में मानते हैं कि जब सदन में इनका कोई योगदान न हो तो सिर्फ समाचार पत्रों में अपनी खबर प्रकाशित करवाने की कोशिश करते हैं और हरियाणा की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस किस्म का व्यवहार आगे से सदन में नहीं होना चाहिए और हम सब मिलकर जो गलत परम्पराएं पहले डली हैं उनको खत्म करके स्वस्थ परम्पराएं शुरू करें। स्पीकर सर, स्वस्थ परम्परा यहां डले इसके लिए आपने पूरी कोशिश की है इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो हमारे साथी बोल रहे थे मैं समझता हूँ कि उनकी इस प्रकार की प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं थी और उन्होंने यहां पर जो

[श्री फूल चन्द मुलाना]

व्यवहार किया है वह कण्डैमनेशन के काबिल है। उनकी पार्टी के जो लोग बाहर बैठकर उनको चला रहे हैं और हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि उनकी भी ज्यादा कण्डैमनेशन करनी चाहिए। सरकार ने उनके खिलाफ जो कार्यवाही करने का ऐलान किया है उस कार्यवाही से बचने के लिए इस प्रकार से शोर शराबे की कार्यवाही कर रहे हैं कि सरकार ने उनके खिलाफ सी०बी०आई० की इन्कवायरी की घोषणा क्यों की गई है। बाहर बैठकर जो लोग यहाँ पर कार्यवाही करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ज्यादा कण्डैमनेशन की जानी चाहिए। यहाँ पर जो कुछ हुआ है बेसिकली उसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं और उनके कण्डक्ट की कण्डैमनेशन की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई) : स्पीकर सर, आज ओपोजीशन का जो कण्डक्ट था बेसिकली इस बात का था कि जो खबर अखबार में छपी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इनकी करतूतों के बारे में सी०बी०आई० को जो जांच सौंपी है ये लोग इसे ओवरशेडो करना चाहते हैं। यहाँ पर शोर शराबा करके ये लोग हमारे सवाल भी खा गए और शोर शराबा करके हाउस से बाहर भी चले गए। अखबार में जो खबर छपी है उसके कारण इनको तकलीफ हो रही है और यह लोग चाहते थे कि शोर करके इस मामले को दबा दिया जाए। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह दरखास्त है और इनकी इस बात का जवाब भी यह है कि सी०बी०आई० को मामले की तह तक जाने के लिए किसी प्रकार से समय सीमा निर्धारित करके इस पर फैसला लें तो दूध का दूध तथा पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने पाँच छः साल तक हरियाणा को निचोड़ा है। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह भी कहूँगा कि बहुत से भ्रष्ट अधिकारी भी उनके साथ शामिल थे और उनकी मिली भगत के बिना तो कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती थी। किसी तरह से उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लिया जाए जिन्होंने बड़ी गलत और भयंकर तथा वायबरन्ट करतूत की थीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने उस वक्त जो काम किए उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वक्त की लाईसेंसिंग अथोरिटी के घर से एक हजार से ज्यादा कारतूस बरामद हुए जब कि उनके पास बन्दूक का अपना लाईसेंस भी नहीं था। अधिकारियों के घर से शराब मिली, इम्पोर्टेड व्हिस्की के 70-70 जार मिले। ये लोग ऐसे अधिकारियों के माध्यम से लोगों पर दफा 302 के मुकद्दमें बनाया करते थे। ऐसे अधिकारियों के माध्यम से इन लोगों ने जनता की जायदादें हड़पीं और बेकसूर लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए और बहुत से बेकसूर किसान मारे गए। मुख्य मन्त्री जी स्वयं उस समय इस आन्दोलन को चला रहे थे जीन्द से चल कर हम लोग दिल्ली तक गए थे। हम लोग उनके खिलाफ वहाँ पर आन्दोलन चला रहे थे कि ऐसे कातिलों को जिन्होंने किसानों की हत्याएं की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मुख्य मन्त्री जी, आपकी इन्फोरमेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उन्हीं लोगों ने करनाल जिले में नौजवानों की भी हत्याएं की थीं जिसको उन्होंने पुलिस की मुठभेड़ दिखाया। It is a matter of record. मैं उस समय के एक ऐसे व्यक्ति को जनता था जिसके बारे में उस समय के D.G.P. की रिपोर्ट है कि such an officer should not be promoted at any cost because he has mis-conducted as a responsible officer of the Government. ऐसे लोगों को तरक्की देकर किसानों को मरवाया, बेकसूर लोगों पर नापायज मुकद्दमें बनवाए गए, लोगों की जायदादें हड़पवाई गई। ये अधिकारी उस वक्त की सरकार की सारी काली करतूतों में शामिल थे और उन्होंने स्वयं भी करोड़ों रुपये की जायदादें बनाईं। उनके कब्जे से

लैपटॉप तक पकड़े गए। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जब सी०बी०आई० की जांच हो तो ऐसे अधिकारी जो उस वक्त उनके साथ थे उनको भी सी०बी०आई० जांच के घेरे में लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी की जांच रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वह जांच उसी अवधि में पूरी की जा सके। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर इसे गन्दी तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते थे यदि अधिकारियों ने सरकार को सही समय पर सही सलाह दी होती तो सरकार कोई गलत काम कर रही नहीं सकती। वे अधिकारी सरकार के ऐसे लोगों के साथ खुद hand in gloves थे। (विष्णु)

Mr. Speaker : Mann Sahib, please wind up now.

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : सर, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। There was a group of 5-6 officers who were operating there. अध्यक्ष महोदय, मैं करनाल में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नारकीटिक्स का काम करते थे और पैसा खाते थे। उन लोगों ने नारायणगढ़ में सैंकड़ों एकड़ जमीन बनाई हुई है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सी०बी०आई०की जांच के घेरे में लिया जाए और यदि ऐसा सम्भव न हो तो हमारी स्टेट विजिलेंस से इनकी इन्क्वायरी करवाई जानी चाहिए कि किन लोगों ने सरकारी जमीनों को बेदरती से बेचा। नहरों के रैस्ट हाउसिज को ऐसी बेदरती से बेचा कि एक लाख या डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ की कीमत रखी हुई थी। जबकि किसी कल्लर जमीन का रेट भी इतना कम नहीं है और किसी जोहड़ के अन्दर भी इतनी कम कीमत नहीं है जब कि लाख डेढ़ लाख रुपये की रिजर्व प्राईस पर ये रैस्ट हाउसिज बेचे गए। स्टेट के अंदर सैंकड़ों एकड़ जमीन ऐसे ही दी गई, इस में बड़ा भारी घपला है। मेरी मुख्य मंत्री जी से यह दरखास्त भी है और मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना भी चाहता हूँ कि इस मामले की विजिलेंस से इन्क्वायरी करवायी जाए तथा बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 15 सालों से इस विधान सभा का सदस्य बनकर थला आ रहा हूँ लेकिन आज के दिन को देखकर मैं आपको और सदन के नेता को मुबारिकवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आज आपने सदन की मर्यादा को बनाए रखा। वरना हम तो सदन के अंदर उस समय देखा करते थे कि यहां पर किस तरह से व्यवहार किया जाता था। आज जिस तरह से उस दल के लोग यहां पर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे थे, बेतुकी बातें कर रहे थे ऐसा उस समय होने का सवाल ही नहीं होता था। एक जमाना वह भी हमें याद है कि जब इनके मुखिया और पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके परिवार के लोग, उनके अधिकारी, उनके मंत्री और उनके विधायक जिस बेरहमी से इस प्रदेश के, इस देश के कानून को तोड़ने मरोड़ने लगे हुए थे, इस सदन की मर्यादाओं का हनन करते थे और एक तरह से सरकार का मजाक उन लोगों ने बना रखा था। उस समय जब हम प्रदेश के हितों की बात को कहने के लिए खड़े होकर अपनी बात रखना चाहते थे तो हमें खड़े होने से पहले सदन से बाहर कर दिया जाता था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बात के लिए आपको और सदन के नेता को मुबारिकवाद देता हूँ। इतनी बेहूदगियों के चलते हुए भी आज आपने इस हरियाणा की विधान सभा में पहली मर्तबा एक अध्यक्ष की हैसियत से निष्पक्ष तरीके से सदन की कार्रवाई चलायी। आपने उनको बहुत मीके दिए और आपने उनकी बेहूदगियों को बर्दाश्त किया। सदन के नेता ने भी किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखायी। दो मर्तबा आपने सदन को

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

स्थगित करवाया लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और हरियाणा की जनता भी जानती है कि ये लोग उस प्रजाति के हैं जो प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं। इनकी प्रजाति की पहचान आपने और हमने पिछले कई सालों से देखी है। अमी तेजेन्द्रपाल मान जी ने बताया कि इन लोगों ने अपनी सरकार के रहते हुए क्या-क्या किया। मैं फिर से उन बातों को दोहराकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, इनके शोर मचाने के पीछे असलियत और भी है। प्रैस के हमारे साथी भी जानते हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि जो चार्जशीट उस समय हमारे द्वारा ओम प्रकाश चौटाला और उनकी सरकार के खिलाफ जांच के लिए उस वक्त के महामहिम राज्यपाल महोदय को दी गयी थी वह अधूरी थी। अध्यक्ष महोदय, इन 9 महीनों के असें में उस ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ और उस वक्त के अधिकारियों के खिलाफ अब और कई संगीन पुरख्ता सबूत हमारे हाथ में जाये हैं। इस बात को ये लोग भलीभांति जानते हैं कि सी०बी०आई० को अब जो जांच दी गयी है और वह नये आरोप जोकि पहले दिए हुए आरोपों से ज्यादा संगीन हैं, इनके गले की इड्डी बनने जा रहे हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, उस जांच से, अपनी उन काली करतूतों से, उन गलत कामों से लोगों की निगाहों से बचना चाहते थे इसलिए ये आज इस तरह की बेहूदगी कर रहे थे। मैं आपको मुबारिकवाद देता हूँ और आपके माध्यम से उन लोगों को एक मशविरा देता हूँ कि वे हरियाणा के लोगों पर रहम करें। इन्होंने पिछले पाँच सालों में हरियाणा के लोगों का बहुत नुकसान किया। अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह के व्यवहार से उनकी दो बातों की मंशा जाहिर होती है कि जो आज सदन में इतने महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए थे जिनके माध्यम से हरियाणा की जनता का न जाने किलना निदान होना था और जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे मंत्रियों ने लोगों को राहत देने के लिए सवालों की तैयारी की थी, वे काम इन्होंने नहीं होने दिए। अध्यक्ष महोदय, ये लोग हरियाणा के लोगों के हितों की बात करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज क्वेश्चन ऑर्डर के बाद जीरो ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण विषय यानि बिजली और पानी की समस्या को लेकर इन्होंने एक कालिग अटेंशन मोशन दिया था। यह मोशन प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था लेकिन ये लोग अपने कालिग अटेंशन मोशन पर भी इस तरह की समस्याओं का जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहते जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इनके कालिग अटेंशन मोशन का बहुत बढ़िया जवाब देना था। ये लोग इस तरह की समस्याओं पर यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार फिर आपको मुबारिकवाद देता हूँ कि आज आपने इनको जो सबक सिखाया है वह बहुत कम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर फिर भी ये आईन्दा इस तरीके की गुरस्ताखी करें तो आप इनको एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत करें जिससे हरियाणा के लोगों को कुछ राहत मिले।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इरादा जानना चाहता हूँ। सरकार का ओम प्रकाश चौटाला के भूतल्लिक इरादा क्या है। 10 महीने हो चुके लेकिन अब तक मामूली सा भी चौटाला जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सारे कांग्रेसी भाई बैठे हैं कोई उसको डाकू कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं जिसकी जो मर्जी आती है वह कहता है और असलीयत भी यही है। सारा हरियाणा प्रदेश यह जानता है लेकिन मैं जहाँ तक समझ सका हूँ सरकार ने दस महीने में चौटाला का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके खिलाफ कोई इक्वायरी शुरू की हो या उसकी किसी तरह की ज्यादतियों के खिलाफ कोई कदम उठाया हो तो ये बतार् ? दस महीने

बीत चुके, जितने भू-नाफिया थे, गैंगस्टर थे, उसके दामाद का टेका था गुड़गांव में और खानक में। उन्होंने दस महीने चुप्पी रखी खानक में और अब वे वैसे ही सक्रिय हैं जैसे चौटाला के राज में सक्रिय थे, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि मिलीभगत से ही उसको स्टे दिखवा दिया गया हो। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार का इरादा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप उसी प्वाँयंट पर रहें।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आज मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बयान चाहता हूँ कि चौटाला साहब ने जितने जुलम किए थे, 25 हजार इम्प्लायीज जो नौकरियों से निकाल दिये थे। वे बेचारे आज सड़कों पर गोलियां लाटियां खाते हुए घूम रहे हैं, उनको बहाल करो। जितनी इन लोगों ने शैतानियां और बदमाशियां की हैं, आज वे डाकू दल के शैतान और बदमाश लोग आप लोगों पर कीचड़ उछालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी में एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का दोष नहीं है। *****

Mr. Speaker : It is not to be recorded.

श्री धर्म पाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने जो विषय उठाया है और उस पर सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अभी रीसैटली लोकसभा में इस बारे में एक कमेटी गठित की गई है जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उनमें से वहां पर एक दो एम०पी० ने व्हेश्चन फिक्सिंग की है उसके संबंध में कमेटी गठित की गई है केवल इस बात पर कि यह टी०वी० पर दिखाया गया है। लेकिन यहां इन लोगों ने साजिश कर रखी है, बाहर से ही फिक्सिंग करके आए हैं कि हाउस को नहीं चलने देंगे। हाउस की कार्यवाही बाधित होने से प्रदेश की सवा दो करोड़ जनता का पैसा बर्बाद होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मुद्दे को लेकर इस हाउस की कमेटी गठित की जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए कि किस भंशा से हाउस का कार्यवाही इन्होंने रोक रखी थी ?

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में विपक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने अपने रोल में बहुत कोताही की है, प्रजातंत्र का मर्डर किया है। आपने और सदन के नेता ने इस मामले में बहुत ही सहनशीलता दिखाई है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज हमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल करने थे। हमारी स्टेट के अस्पतालों की बिल्डिंगें टूट गई हैं, लोग मर रहे हैं उसकी बात करनी थी, हमने पानी की बात करनी थी। मेरा निवेदन है इन साथियों को विपक्ष के नेता का भी स्टेटस प्राप्त नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे इंदीरा साहब को हर सवाल के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और वे सारी गलत बातें बोलते हैं, कोई ठीक बात नहीं बोलते हैं। यहां आकर के केवल से अपने भ्रष्ट नेता की पैरवी ही करते हैं और उस नेता को अब तक जेल के अंदर दे देना चाहिए था जो अभी बाहर बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इनको विपक्ष का स्टेटस न देते हुए समय के मुताबिक आप हमसे पर्चियां ले लो और जो ठीक ढंग की बात बोलना चाहते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए। मेरा दो मिनट का समय पूरा हुआ। जय हिंद।

श्री छतर पाल सिंह (धिराय) : अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपने दो बार हाउस को एडजर्न किया और आपने एक संरक्षक के तौर पर सदस्यों को बोलने की पूरी छुट

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया

[प्रो० छतर पाल सिंह]

दी कि वे क्या कहना चाहते हैं। हालांकि उनके मामले में कोई धम नहीं था। जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथी विधान सभा में चुनकर आते रहे हैं, मेजरिटी के बारे में कहूंगा कि वे एक ताबाशाही का शिकार रहे हैं। एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नर हैं एक व्यक्ति जो उनको डायरेक्शन दे देता है वे उसी के ऊपर सोचते हैं न उससे कम सोचते हैं और न उससे ज्यादा सोचते हैं। एक बार उनकी पार्टी में ज्यादा सोचने वाले को भर्ती किया गया था उसकी यह रवायत हुई थी कि वे सारे सदस्य पार्टी को छोड़कर चले गये थे और सरकार किसी दूसरी पार्टी की बन गई थी। उसके बाद इन्होंने पार्टी में सदस्य भर्ती करने का क्राइटेरिया ही बदल दिया selection of tickets, selection of recruitment in party, जितना नाप तोल कर बताया जायेगा, समझा दिया जायेगा उतना ही काम करेंगे उससे ज्यादा नहीं करेंगे। स्पीकर सर, हम लोग देखते रहे कि आज सरकार जो चल रही है वह पूरे अमन चैन के साथ शांतिप्रिय माहौल के अन्दर चल रही है। आपने हाउस के अन्दर सभी सदस्यों के अधिकारों को बहाल किया है। हरियाणा के आम शरीफ और गरीब आदमी के अधिकारों को बहाल किया। जितने गुण्डे बदमाश एलीमेंट्स इण्डियन नेशनल लोकदल की सरकार के सरगनाओं के तौर पर जो पैदा हुए जितनी भी कल्लोमारत, गुण्डागर्दी डकैती लूटपाट हुई थी आज चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा के अन्दर ऐसा माहौल बनाया कि गुण्डे बदमाश आदमी यहां पर हरियाणा में टिकने में बहुत बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं वे या तो हरियाणा को छोड़कर चले गये हैं और यदि यहां है तो हमारे कानून के शिकार हुए हैं। स्पीकर सर, विधान सभा के अन्दर जब वे लोग सत्तापक्ष में होते थे तो वे नहीं चाहते थे कि विपक्ष का कोई सदस्य या उनकी पार्टी का सदस्य हाउस के अन्दर हरियाणा के हक पर सोच विचार कर सके या कोई बात कर सके। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि गवर्नर साहब के द्वारा सदन को बुलाने पर करोड़ों रुपया जमना का खर्च होता है और हरियाणा के विकास की बात, हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात का समाधान करने के लिए सेशन बुलाया जाता है। हर सदस्य की यह जिम्मेवारी बनती है कि जिन बातों में कोई तथ्य न हो उनको इस सदन में नहीं रखना चाहिए। सदन के पेंलर पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे आदमी या अनपढ़ दोनों सदस्यों को यहां बोलने की आवश्यकता है लेकिन चुप रहना भी गुनाह है बोलना भी आवश्यक है लेकिन गलत बोलना एक पाप है। अनावश्यक बोलना या गलत बोलना या न बोलना भी पाप है। हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात की धिन्ता जाहिर की है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ध्यान यहां पर दिया है कि हमें थोड़ी पेसेंस रखनी चाहिए। यह ठीक है कि जिन बातों का जिक्र करने से अपराधी सतर्क हो जाते हैं वे बातें नहीं करनी चाहिए। आज श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके जितने भी मैगिस्टर हैं हमारी सरकार उनको सतर्क नहीं करना चाहती। उन्होंने बड़ी सफाई से हथकण्डे अपनाकर प्रदेश को लूटा है। पिछले पांच सालों में अखबारों ने भी उसमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस की है और डर महसूस किया है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। हरियाणा की प्रेस ने भी कुछ नहीं लिखा। उनके खिलाफ इतने मामलात है कि वे जेलों से बाहर नहीं जा सकते। जैसा मान साहब ने जिक्र किया। उन मामलात में उस समय के अधिकारी नहीं बचेंगे कोई कर्मचारी नहीं बचेगा और न ही कोई ठाड़ा नेता और बदमाश बचेंगे। स्पीकर सर, दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार उनकी पार्टी के नेता का और जितने उनके ठाड़े नेता हैं या बदमाश आदमी हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर ले क्योंकि ऐसा न हो कि कहीं वे देश छोड़कर भाग जाएं। वे

भागों में यहाँ नजर नहीं आयेगे। इसलिए समय रहते इनका इन्तजाम करना चाहिए। इसके इलावा मेरी एक इल्तजा यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि किसी भी पार्टी के इतने प्रतिनिधि चुनकर आयेँगे तो उसी पार्टी को as a political party recognition मिल पायेगी। मैं तो यह कहता हूँ कि इनकी पार्टी की परफॉरमेंस को देखो, नीयत को देखो। क्रिमिनल बिहेवीयर को देखकर इण्डियन नेशनल लोकदल जैसी पार्टी की राजनीतिक रिकोगनीशन as a political party रद्द कर देनी चाहिए। इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी की गैर जिम्मेदाराना किस्म की बात हरियाणा की जनता के सामने और हरियाणा विधान सभा के अन्दर जिस प्रकार का परिपेक्ष्य पेश किया है मैं तो कहता हूँ कि इस सदन को एक प्रस्ताव पास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया को लिखना चाहिए कि इनकी पार्टी की परफॉरमेंस को देखकर पार्लियामेंट में और इस हाउस में बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनके व्यवहार को देखकर इनकी पार्टी की मान्यता को रद्द कर देनी चाहिए।

Mr. Speaker : Prof. Sahib, please take your seat now.

श्री रामकिशन फौजी (बवानीखेड़ा-एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज विपक्ष के साथियों ने इस हरियाणा की जनता की भलाई के लिए सरकार को सुझाव देने थे लेकिन मुझे दुःख हुआ कि उन्होंने सदन में ऐसा बिहेव किया जिस कारण उन्हें सदन से बाहर किया गया लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने फिराखदिली दिखाई कि आपने हाउस को 10 मिनट के लिए और 20 मिनट के लिए दो बार स्थगित किया। उसके बाद भी आपने फिर उनको मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब हम विपक्ष में थे, हम खोलने के लिए खड़े होते थे तो हमें उसी टाइम नेम कर दिया जाता था। लेकिन आज तो मार्शल ने उन्हें बाहर निकाला और अच्छे तरीके से बाहर निकाला। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में जेलों के ऐसे गुण्डे बदमाश मार्शल के नाम पर बैठाए जाते थे जिन पर 302 के मुकदमें चले होते थे वे हमें अंग्रेजों की तरह बेदरती से सदन से बाहर निकालते थे। हमारे दो पुराने साथी अशोक अरोड़ा जी और पूर्व वित्त मंत्री सम्पत सिंह जी यहाँ अध्यक्ष गैलरी में बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी चश्मे को हाथ लगाते थे और हाथ लगाते ही हमें सदन से बाहर किया जाता था, जहाँ आज मार्शल बैठे हैं वहाँ पुलिस के साथी सिविल थर्दी में बैठे होते थे। हमारे साथी श्री रघुबीर सिंह कादियान को और हमें इस तरीके से सदन से बाहर निकाला जाता था जैसे भर्डर करके बाहर निकाला जाता हो। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उनको अच्छे तरीके से बाहर किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश इस हाउस की तरफ देख रहा है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनी है और यह सरकार ईमानदारी के काम करेगी, भलाई के काम करेगी लेकिन हम चाहते थे कि विपक्ष सरकार को अच्छे सुझाव देता और सरकार उन सुझावों को धुन करके अच्छे काम करती। बड़े दुःख की बात है कि विपक्ष ने सदन में ऐसा व्यवहार किया जिस कारण उन्हें हाउस से बाहर जाना पड़ा। ओम प्रकाश चौटाला और उसके परिवार के सदस्य और उनकी सरकार के सदस्यों के कारनामों की इन्कवायरी सी०बी०आई० को दी गई और जिसकी हाउस में बर्था होनी थी, इनका तो एक ही मकसद था कि हम हाउस से बाहर चले जाएँ और इस बर्था को सुनें।

श्री० अर्जन सिंह (छछरीली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने जो आपकी तारीफ़ की है मैं भी उससे सहमत हूँ, मैं डिटेल में जाऊँगा तो काफी देर लग जाएगी और मुझे समय बहुत कम

[श्री० अर्जन सिंह]

मिला है। सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज सुबह जब हमने अखबार पढ़ा तो बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री महोदय ने ओम प्रकाश चौटाला के कारनामों की इन्फ़ोर्माटिव सी०बी०आई० को दे दी। इन्होंने एक बहुत बड़ा पुनः का काम किया है। यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। एक बार पहले भी यह खबर आई थी कि चौटाला के कारनामों की इन्फ़ोर्माटिव सी०बी०आई० को दी गई है। लोगों ने राहत की सांस ली थी। हमारे गाँव के लोगों ने उस दिन अखबार लिए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि तुम अखबार का क्या करोगे तो उन्होंने कहा कि अखबार में चौटाला की इन्फ़ोर्माटिव की खबर आई है इसलिए किसी से अखबार पढ़वाएंगे। लेकिन अगले ही दिन वह बात खत्म हो गई। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहूँगा कि उस आदमी ने जितनी लूट खसोट हरियाणा में की उससे आप ही बचाएंगे क्योंकि हमें आपसे ही उम्मीद है। मैंने दो बार जश्न का माहौल देखा। एक बार तो जब लोकसभा के इलैक्शन का रिजल्ट आया तो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मैंने कहा कि क्या बात है कौन जीत गया। लोग कहने लगे कि जीतने का तो हमें पता नहीं लेकिन ओम प्रकाश चौटाला हार गया, चौटाला के दोनों लड़के हार गए, हम तो इस बात की खुशी मना रहे हैं जीतने का हमें नहीं पता कि कौन जीता है। उन्हें उम्मीद थी कि जैसा लोकसभा के इलैक्शन का रिजल्ट आया है ऐसा ही आगे विधान सभा के इलैक्शन में भी आएगा और लोगों ने राहत की सांस ली थी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला कैसर के फोड़े की तरह है इसका आप इलाज कराएं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हत्के की दो समस्याएं बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, बैठें। आप इस तद्दूर घर रोटी न लगाएं।

श्री धर्मवीर गावा (गुड़गाँव) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय पर बोलना चाहता हूँ, आज हमें यह इन्फ़ोर्माटिव मिली कि ओनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने कैसीनो का बिल जो लैजिस्लेटिव असेम्बली में 2002 में पास हुआ था, उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ़ इस हाउस के लोग ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा के लोग भूभाग होंगे। मैं समझता हूँ इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये गुड़गाँव में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ब्रांच को खत्म करके कैसिनो खोलना चाहते थे और अब जब यह बिल रिजेक्ट हो गया है तो इसके लिए सारे गुड़गाँव के लोग धन्यवादी हैं कि उनके बच्चे इस गंदी आदल से बच गए हैं, बदइज्जत से बच गए हैं, लोगों का भला हो गया है, उनके बच्चे बरबाद होने से बच गए हैं। मैं चाहता हूँ कि सारा सदन इस रैजोल्यूशन को पास करके इसे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे। धन्यवाद सर।

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move motion under Rule 16.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Finance Department, Notification No. S.O. 96/H.A. 6/2005/S. 15/2005, dated the 9th December, 2005 regarding the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005, as required under section 15 (3) of the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

The Report of 2nd State Finance Commission Haryana (September, 2004), as required under clause 4 of Article 243-I and clause 2 of Article 243-Y of the Constitution of India.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation, Chandigarh for the year ended 31st March, 2002, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Separate Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation, Chandigarh for the year ended 31st March, 2003, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The 37th Annual Report of Haryana Warehousing Corporation, Panchkula for the year 2003-2004, as required under section 31 (11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The 32nd Annual Report of Haryana Tanneries Limited, Jind for the year 2003- 2004 as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 5th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2001-2002, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2005 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विधान कार्य—

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा असेम्बली में सरकार कास्ट्रेक्ट फार्मिंग के बारे में जो अमेंडमेंट लेकर आई हैं पंजाब की सरकार ने इसको दो तीन साल पहले ही एडाप्ट कर लिया है लेकिन पंजाब में यह कोई कानूनी प्रावधान के तहत नहीं हो रही है।

इस काण्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं यहाँ पर दो-तीन बातें कहना चाहूँगा। इस अमेंडमेंट के तहत काण्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान अपनी जमीनें बड़ी-2 कम्पनियों अथवा बड़े घनाद्वय लोगों को ऑफर करेंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो छोटे किसान हैं उनके हितों को कैसे वाक किया जाएगा ? कोई भी बड़ी कम्पनी या कोई भी बड़ा आदमी जिसे आप स्पोसर करेंगे जिसको आप कहेंगे कि वह 500-1000-2000 या 5000 एकड़ जमीन लेने वाला है जाहिर है कि वह कम्पनी या व्यक्ति जो 5-10 हजार एकड़ जमीन लेगा वह अपना सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर लेकर आएगा। अपने एक्सपर्ट्स लेकर आएगा। उसके बाद भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जैसे कि सौद कौन सा इस्तेमाल करना है, फसल के लिए दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी है या दूसरी और चीजें हैं उनके बारे में वह फैसला करेगा। उसके बाद जब फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो उस फसल की प्राईस तय होगी, वह कौन करेगा ? छः महीने के बाद जब फसल मण्डी में आएगी तो छोटे किसान उस फसल की कीमत कैसे तय कर सकेंगे क्योंकि फसल की प्राईस कम्पनी तय करेगी इसलिए जाहिर है कि फसल की बारगेनिंग पावर किसान के पास न हो कर उस कम्पनी के पास ही रहेगी। इसमें किसान को ऊंची प्राईस तथा रेन्यूअरेशन प्राप्त हो सके इसके लिए मैं यह कहूँगा कि सरकार को इसके लिए मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन करना चाहिए जो कि किसान को प्रोपर एडवाइस दे सके। किस तरह से एग््रीमेंट होगा टैकनीकली बातें जो एग््रीमेंट में आएंगी वह कैसे लिखी जाएंगी इस बारे में इन्डिविजुअल किसान को कुछ पता नहीं है इसलिए मेरी रिकमेंड है कि सरकार उसके गार्जियन के तौर पर काम करे और किसान के हितों का पूरा खयाल रखे। स्पीकर सर, मीटिंग पर मैं यह कहूँगा कि किसान के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएगी जिससे बारगेनिंग के वक्त किसानों के हितों को किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुँचे। धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन को धन्यवाद कहूँ कि हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता तथा भन्सा किसान और खेत मजदूर का भला करना तथा उसको अच्छे अथसर प्रदान करना है। इसी धात को ध्यान में रखकर आज जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रान्ति आई है सरकार ने उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया है। सारे जगत् के साथ औद्योगिक जगत में नई क्रान्ति आ रही है तथा कृषि जगत में जो नई क्रान्ति हुई है उसका हिस्सा तथा लाभ हमारे किसान और खेत मजदूर को मिले इसलिए हरियाणा के मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में हम इस कानून को लेकर आए हैं। स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि हमने इस बिल में ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में तरमीन की है। एग्री प्रोसेसिंग सिस्टम में तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे आगे आने वाली 21वीं सदी में खेती में नई क्रान्ति आएगी। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया है कि किसान के हितों की रक्षा कैसे होगी। स्पीकर सर, हरियाणा ही एक ऐसा प्रान्त है जिसने कानून में प्रावधान करके किसान के हितों की रक्षा की है तथा इस कानून को अमली जामा पहनाया है। काण्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो भी कम्पनी आएगी उसके लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। स्पीकर सर, हाउस की जानकारी के लिए मैं इस बिल की क्लॉज-4 की ओर आपका तथा हाउस का ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसके द्वारा सैक्शन 8-ए (i) जोड़ने का प्रावधान किया है इसमें हमने स्पष्ट लिखा है :-

“contract farming sponsor shall register himself with the Committee or with a prescribed officer in such manner as may be prescribed”

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कम्पनी होगी वह हमारे पास रजिस्टर्ड होगी इसके लिए सरकार किसी अधिकारी को डिजिनेट करेगी। कोई भी कम्पनी अथवा व्यक्ति सरकार की परमिशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ही नहीं सकेगा। किसानों के साथ वह जो भी समझौता करेगा उसमें किसानों के हितों की प्राथमिकता रहेगी। आम साधारण किसान के हितों की रक्षा के लिए जो कम्पनी अथवा व्यक्ति कैपेबल नहीं होगा वह किसानों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और सरकार इस बात का पूरा खयाल रखेगी कि क्या समझौता होगा और इसका प्रारूप सरकार प्रिस्क्राइब करेगी और इस बात का प्रावधान इस बिल की क्लॉज 4 की सब क्लॉज 8-ए के पार्ट (2) के अंदर सरकार ने किया है। स्पीकर साहब, इतना ही नहीं किसान की सम्पत्ति को कोई बड़ा अनुबन्ध करके रख न ले, उसे गिरवी न रख ले, उस पर कब्जा न कर ले, उसकी मलकियत का हस्तान्तरण न हो जाए इसलिए हमने यह क्लॉज एड की है। मैं हाउस को यह पढ़कर बताना चाहूंगा।

"Notwithstanding anything contained in contract farming agreement, no title, rights, ownership or possession of the land shall be transferred or alienated or vested in the contract farming sponsor or his successor or his agent as a consequence arising out of the contract farming agreement."

स्पीकर साहब, हमने काफी व्यापक प्रावधान इस बिल में इस बात के लिए किया है कि किसान की जमीन और किसान के हकों की सुरक्षा हो। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक नयी रोशनी सरकार किसान और खेत मजदूरों की जिदगी में पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1961 में तरमीम करके लेकर आयी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा। पंजाब का उदाहरण श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने दिया है कि पंजाब में पिछले दो सालों से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है वह कोई कानूनी प्रावधान के तहत नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पंजाब वाले कोई भी कानूनी प्रावधान किसान के हित को ध्यान में लेकर नहीं आये थे जबकि आज हम यह प्रावधान लेकर आये हैं। उन्हीं के लुज्बे को देखकर हमारी सरकार यह बिल लायी है। जो पंजाब में किसानों का अहित हुआ है वह हमारे यहां पर नहीं होगा। पंजाब में केवल इनफोर्मल एग्रीमेंट हुआ था इसलिए वहां के किसानों को दाम नहीं मिले। लेकिन यह कानून इस बात को बाध्य करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में हमने पूरा मेकेनिज्म प्रोवाइड किया है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा डिवैल्पमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमेंडमेंट एंड
 वैलीडेशन) बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, a Minister will move that the Bill be passed.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर सर, यह बिल एक बहुत ही ठीक बात के लिए लाया गया है, जो कुछ इस में डिफैक्ट्स थे उनकी वजह से लोग जोटर्स में गए थे। इससे सरकार का काफी पैसा लोग हजम कर सकते थे, उसकी रोकथाम के लिए इस बिल को सरकार लेकर आई है। इस ओकेजन पर मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह कहूंगा कि यह अर्बेडमेंट अर्बन एरियाज में जो अनअथोराइज्ड कालोनीज बनी हुई हैं उनको रेगुलराईज करने के लिए लाया गया है। आज हरियाणा में अन-अथोराइज्ड कालोनीज की एक बहुत भारी शिकायत कंटीन्यू चल रही है। पिछले 5-6 साल में जब ओम प्रकाश चौटाला का राज था उस समय उनके चपड़ मुकदम और इनके विधायक और चाटुकार कार्यकर्ता थे जिन्होंने अर्बन एरियाज में भीचे के एरिया पर इस तरह की कालोनीज बनाकर करोड़ों, अरबों, खरबों रुपये बनाए थे। इस तरह की कालोनीज बनवा कर के ओम प्रकाश चौटाला ने फरीदाबाद, गुड़गांव और पंथकुला में खूब पैसा इकट्ठा किया। वे ऐसा करते थे कि अन-अथोराइज्ड कालोनीज में बहुत सस्ती जमीन किसानों की पेरीफरी में ले लेते थे

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

और उसको लेते तो एकड़ के हिसाब से थे, जैसे 5 लाख या 10 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो जमीन शहर के नजदीक थी उसको लेते थे और लेकर बेचते गजों के हिसाब से थे और टोटली अन-अथोराइज्ड कालोनीज की उन्होंने भरगार कर दी। इस तरह उन्होंने पूरे हरियाणा के शहरों का नक्शा खराब कर दिया। मैंने पिछले सेशन में भी यह बात कही थी कि सरकार को एक कानून लाकर इसमें तरमीम करनी चाहिए कि जिन लोगों ने अन-अथोराइज्ड कालोनीज बनाकर गरीब लोगों को मकान बेचे या प्लॉट गरीब लोगों को बेच दिए उनसे वहाँ के डिवेलपमेंट चार्जिज वसूल करने चाहिए। आम आदमी गांव का जो शहर में आकर मजदूरी करने के लिए और रोजगार के लिए बसना चाहता है, उसका ख्याल था कि शहर तो शहर है उसको बेचारे को यह भी नहीं पता था कि यह मकान या प्लॉट म्यूनिसिपल लिमिट में है, अथोराइज्ड है, अन-अथोराइज्ड है, क्या है? वह तो यह समझता था कि शहर में पक्की सड़कें मिलेंगी, नाली होंगी, रोशनी होगी, गलियों में पानी की टूटियाँ लगेंगी, सब तरह की सुविधाएँ होंगी लेकिन अगर आज जाकर देखें तो स्लम भी नहीं कह सकते हैं लोगों ने मकान फ्लड की बजह से 4-4, 5-5 फुट और 6-6 फुट ऊंचे बनाए हैं। इसलिए कालोनीज की गलियों में पानी खड़ा रहता है न इनमें सड़कें हैं, न नालियाँ हैं, न पीने का पानी है न वहाँ बिजली है। कैथल में मैंने कोशिश की ऐसी कालोनीज जिनमें गरीब लोग और उजाड़े हुए हरिजन हरसोला से, कालेखाँ से और बहुत से दूसरे गांवों से आकर कैथल में बसे हैं क्योंकि उन गरीब लोगों के पिछली सरकार ने गांवों से उजाड़ दिया, उनके मकान तोड़ दिए, उनके मवेशी और उनका सामान लूट लिया। गरीब आदमी वहाँ आकर बसे थे और बड़ी मुश्किल से इधर-उधर से पैसा उधार लेकर जमीन ली थी और मकान बनाए थे। आज अगर वे बिजली का कनेक्शन लेना चाहें तो बिजली का जो बोर्ड था या कंपनी थी उसने एक सर्कुलर भेजा है कि जो आदमी अन-अथोराइज्ड कालोनीज में बिजली का कनेक्शन लेना चाहेगा तो 100 गज का प्लॉट होगा तो 15 रुपये प्रति गज के हिसाब से उसको चार्जिज जमा करवाने पड़ेंगे फिर बिजली की सिक्वोरिटी के भी जो पैसे होंगे वह जमा करवाने पड़ेंगे। जो प्लॉट 100 गज से ज्यादा एरिया का होगा। उसके 25 रुपये प्रति गज के हिसाब से चार्जिज जमा करवाने पड़ेंगे। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि जो लोग गरीब लोगों को मकान या प्लॉट बेचकर गए हैं वे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। वहाँ के शहर के उसी इलाके के पिछली सरकार के चपड़ मुकदम बर्कर, विधायक और मंत्रियों ने यह किया है उनसे इस रुपये को वसूल करने का कानून बनाना चाहिए और उन कालोनीज में तमाम सड़कें बनाने का, बिजली लगाने का, पीने का पानी देने का उनसे रुपया वसूल करके सारे डिवेलपमेंट चार्जिज गरीब लोगों को देने चाहिए। म्यूनिसिपल कमेट्रीज के पास इतना रुपया नहीं है और हरियाणा सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि तमाम अन-अथोराइज्ड कालोनीज में डिवेलपमेंट के लिए पैसा दे सकें। मैं आज भी सरकार से कहूँगा कि इस बात की सख्त जरूरत है क्योंकि पूरे हरियाणा में आज भी उन्हीं के लोग, एकाध कांग्रेस वाले को शामिल कर लेते हैं ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए, इस तरह वे आज पूरे हरियाणा का सत्यानाश कर रहे हैं उनको लुरंत रोकने की जरूरत है और आज जो मैंने बात कही है, जो प्लॉट या मकान बेचकर गए हैं वे उन से कालोनीज की डिवेलपमेंट से करवाएं। उनको पैसा देना पड़ेगा, और लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे अगर बेच देते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि कानून में तरमीम लाकर उनसे डिवेलपमेंट चार्जिज वसूल करने चाहिए। अगर सरकार का वह ख्याल है कि उन लोगों को ट्रेस नहीं कर सकते तो एक दो शहरों में तो जहाँ सरकार मेरी 16.00 बजे जिम्मेदारी लगाये, मैं ट्रेस करके दिखाऊँगा। उन लोगों ने जिन्होंने बेचा है आज भी

उन्होंने महल बना रखे हैं दुकान बना रखी हैं और बिल्डिंग बना रखी हैं और वहाँ के सारे लोगों को पता है कि वे लोग बेचकर गये हैं।

श्री धर्मवीर गाबा (गुडगांव) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जिन अन-अथोराइज्ड कालोनियों का जिक्र किया है। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो रेट हुआ ने 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुकर्रर किया है अगर उन लोगों को बेसिक अमेनिटीज दे दी जाए तो वे लोग इस रेट के हिसाब से पैसे देने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि अगर इन कालोनियों को पास कर दें तो उन लोगों को बेसिक अमेनिटीज मिल जायेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि उन अन-अथोराइज्ड कालोनियों को रगुलर कर दिया जाए। मैंने यही कहना है आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, गुडगांव में जिस जमीन पर कैसीनो खोलने की योजना थी उस जमीन के बारे में जो प्रस्ताव पिछली सरकार लाई थी उसको रद्द करने का प्रस्ताव यह सरकार लाई है इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन पिछली सरकार द्वारा गुडगांव में जिस जमीन पर कैसीनो बनाने के लिए जो जमीन एक्वायर की थी वहाँ पर एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर काम कर रहा था और बहुत से साईटिस्ट्स वहाँ पर कार्यरत थे उस एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर को भी खोलने का काम यह सरकार करे क्योंकि जिस जमीन को कैसीनो खोलने के लिए पिछली सरकार ने ले लिया था उस प्रस्ताव को तो आप रद्द कर रहे हैं लेकिन जिस परपज के लिए वह जमीन थी उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाया जावे। इसके अलावा किसानों की कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई थी। उसके लिए बढ़िया वैज्ञानिक हमारे पास है। इसके अलावा बावल में एक एग्रीकल्चर रीजनल सेंटर था जिसे यूनिवर्सिटी बनाया जाता था लेकिन पिछली सरकार ने उस एग्रीकल्चर रीजनल सेंटर को बन्द कर दिया वहाँ पर भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का काम सरकार द्वारा किया जाये। पिछली सरकार द्वारा जिन लोगों को ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी बनाने के लिए लाईसेंस दिए गये थे। उन लोगों द्वारा जिन गरीबों की जमीन को लिया गया है उन गरीबों को कोई सुविधाएं उनके द्वारा नहीं दी गई हैं। चौटाला की सरकार द्वारा जिन लोगों को यह काम दिया गया था मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में जांच करने के लिए 2-4 एम०एल०एज० की एक कमेटी बना दी जाए तब हम सरकार को बतायेंगे कि जो आदमी वहाँ टूटी हुई चप्पल और टूटे हुए स्कूटर पर आये थे उन आदमियों में से वहाँ पर किसने 300 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बना ली है और किसने 500 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बना ली है। वहाँ के लोगों को नोटिस दे दे कर और अपने ग्राहक मेजकर लोगों की जमीन को ले लिया।

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, आप बिल पर बोलिए।

श्री नरेश यादव : सरकार इस जमीन को अपने पास रखे लेकिन पिछली सरकार के समय में जो जमीन ली गई उस मामले की इन्व्वायरी करवाई जाये।

Mr. Speaker : Yadav Sahib, please take your seat. आप बिल से रिलेटिड नहीं बोल रहे हैं।

श्री नरेश यादव : स्पीकर साहब, यह भी बात आई कि कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं उनका नाम भी बताया जाये और इस मामले की इन्व्वायरी करवाई जाए कि कितनी जमीन किस के पास है ?

क्या सरकार इस मामले की इन्व्वायरी करवायेगी ?

Mr. Speaker : Yadav Sahib, thank, you very much. Please take your seat.

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। हरियाणा डिवैल्पमेंट रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज अमेंडमेंट बिल सरकार का सराहनीय कदम है, इसके अन्दर जो तरमीम सरकार ने की है, वह बहुत जरूरी है। सरकार ने बहुत अच्छी बात की है। इसकी हम सराहना करते हैं और इसका अनुमोदन भी करते हैं लेकिन जैसा सुरजेवाला जी ने कहा कि प्रदेश के हर अर्बन एरियाज में डिवैल्पमेंट की बड़ी विशेष समस्या है, जो गांव के आदमी माइग्रेट होकर शहर में आते हैं थोड़े वह टीचर हो, क्लर्क हो या छोटा मोटा किसान हो या जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो वह पहले प्लाट लेता है। Exactly, I do not want to repeat it but Sir वह प्लाट भी पैसे की कमी की वजह से ऐसी कालोनी में डूबता है जो अन-अथोराइज्ड होती है। प्रदेश के शहरों के चारों तरफ चाहे आप करनाल में जाएं, कैथल में जाएं तरकरीबन सभी शहरों की सड़कें खराब हैं कहीं पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं कुछ और काम चल रहा है। विशेष कर मेरी मुख्यमंत्री महोदय से दरखास्त है कि between illegal colonies and HUDA कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे गांवों से आने वाले जो गरीब लोग हैं उनको कोई दिक्कत न हो जो 100 गज का, 200 गज का या 300 गज का प्लाट लेते हैं और वे मजबूरन अन-अथोराइज्ड कालोनियों में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता होता है कि वे अन-अथोराइज्ड जगह पर प्लाट ले रहे हैं। हम करनाल जाते हैं, पानीपत जाते हैं, कैथल जाते हैं या कुरुक्षेत्र जाते हैं, उन शहरों में जाते रहने की वजह से हम देखते हैं कि 4-4 फुट ऊंचे भवन बने हुए हैं और गलियां भीधी हैं उनके अपने घरों का पानी ही उन गलियों में जाता है और उसकी निकासी नहीं हो पाती है। फिर वे लोकली हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी कालोनीज को अथोराइज्ड करवाओ, बिजली का कनेक्शन दिलाओ, पानी का कनेक्शन दिलाओ। ये सारी मुश्किलें हैं, हुडा के प्लाट की कीमत एक आम गरीब आदमी और मिडल तथा लोअर क्लास का आदमी नहीं दे सकता। हुडा के बहुत से रुकते हैं। प्लाट लेने के बाद फिर कम्प्रोमाइज जीस देनी पड़ती है लेकिन गरीब आदमी के पास थोड़ा पैसा होता है। एक बार पहले वह प्लाट लेता है फिर दो तीन साल पैसा जमा करता है फिर छोटा सा मकान बनाता है, कई बार तो वह बाउंडरी या एक कमरा बना कर रहता है। सरकार को लोगों को अर्बन एरियाज में आने का मौका देना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को देहात से अर्बन एरियाज में लाकर पढ़ा सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि between HUDA and illegal colonization का कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए जिससे हम लोकल लोगों की परेशानियों का समाधान कर सकें। पहले तो गरीब लोग इल्लेगल जगह मकान बना लेते हैं फिर उसको मान्यता प्राप्त कराने के लिए हर विधायक पर जोर डाला जाता है। कभी आप करनाल जाएं या कैथल जाएं तो देखेंगे कि चारों तरफ जो ग्रामीण इलाकों में सड़कें बन रही हैं हमारा अर्बन डिवैल्पमेंट का विभाग है, उस विभाग को देखना चाहिए या तो उनको शुरु में रोक दे, बनाकर फिर रोकते हैं, गरीब आदमी का घर लौड़ते हैं। करनाल में अभी इल्लेगल कालोनियों में बेशुमार घर और कोठियां लोड़ी गईं। पहले क्या उनकी आंखें मिथी हुई थी, उन अधिकारियों को कोई कुछ नहीं कहता। उपभोक्ता बेचारा सफर करता है, पहले अधिकारी गलत काम करवाते हैं, फिर उन गलत कामों के रैज में पैसे लेते हैं। फिर सरकार का प्रेशर पड़ता है ऊपर से डी०सी० कहता है या कोई और कहता है तो घर तुड़वाने चले जाते हैं, लोअर क्लास के लोगों की इस समस्या का हल

सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को नो-प्रोफिट नो-लॉस स्कीम पर जमीन एक्वायर करके छोटे-छोटे प्लाट लोगों को देने होंगे तभी गांव के लोग सुख से, इज्जत से शहरों की तरफ रवानगी टाल सकते हैं।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा स्पेशल इकोनोमिक जोन बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Special Economic Zone Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Special Economic Zone Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Special Economic Zone Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Special Economic Zone Bill be taken into consideration at once.

—श्री-कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को हरियाणा स्पेशल इकोनोमिक जोन बिल यहां सदन में लाने के लिए मुबारकवाद देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बिल के आने से हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आयेगी। सरकार की अच्छी नीतियों की ही वजह है कि जब से मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम प्रदेश के लोगों के सामने रखे हैं उनके कारण ही आज प्रदेश में घरती की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल आया है। पिछले वर्षों में प्रदेश के अंदर घरती की कीमतों में इतना बड़ा उछाल कभी नहीं देखा। उस समय किसानों को उनकी जमीनों के बहुत कम दाम मिलते थे और वे इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहते थे। लेकिन आज जमीनों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण जहां किसानों, गरीब मजदूरों का चेहरा मुरझाया हुआ था वह आज खिलता हुआ है, वे खुश हैं। सरकार जो स्पेशल इकोनोमिक जोन बिल लेकर आई है उसमें मुख्यमंत्री जी ने सभी अच्छी बातों का प्रावधान किया है लेकिन कुछ बातों का जिक्र अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यहां करना चाहूंगा कि जिन बड़ी अमेंनिटीज को बिल के भाग एक में डिफाईन किया है कि कौन-कौन सी अमेंनिटीज डिफाईन करेंगे जैसे "amenities" means roads, water supply, street lighting, power supply, sewerage, drainage, public works, tourist spots, open spaces, parks landscaping and play fields and such other conveniences. अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बड़े-बड़े बिल्डर्स और प्रमोटर्स के साथ मिलकर गलत रिवायतें प्रदेश के अंदर कायम करके ऐसी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना डाली जिनके बनने से संबंधित परिया तरक्की करने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय में

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

सभी निधनों को ताक पर रखकर लोगों की आंखों में धूल झाँककर गुडगांव में रिहायशी इलाके में ऐसे बड़े-बड़े भवनों का निर्माण कर दिया जिनके बनने से वहां पार्किंग की जगह भी नहीं बची तथा उन बिल्डिंगों के कारण कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के आने के बाद हरियाणा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से निश्चित नियम जारी किए जायें कि स्पेशल इकोनोमिक जोन में जो बिल्डिंग बनेगी तो उसकी कंशाद्रष्टान का कंवर्ड एरिया कितना होगा, कंवर्ड एरिया के अंदर पार्किंग कितनी होगी और सड़कें कितनी चौड़ी होंगी। इसके अतिरिक्त वहां डिस्पेंसरी और स्कूल की भी सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें स्कूल का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि स्पेशल इकोनोमिक जोन में जो भी बड़ी यूनिट लगे उसमें ये सभी सुविधाएं अवश्य हों। अध्यक्ष महोदय, आज चाईना दुनिया में सबसे ज्यादा औद्योगिक प्रगति कर रहा है। मैं वहां गया नहीं हूँ लेकिन इस बारे में अखबारों में पढ़ा है। इसका कारण यह है कि चाईना में जो भी बड़ा उद्योग लगता है उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों की सुविधाओं की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाता है यानि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को स्कूल, डिस्पेंसरी आदि की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहां जो स्पेशल इकोनोमिक जोन बने उसमें इस तरह की सभी सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल में जो कमेटी बनाने का जिक्र किया है, मैंने इसको पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इसको पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी के जो मੈबर हैं वे ज्यादातर हमारे बड़े-बड़े अधिकारी हैं। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो बड़े-बड़े इन्वैस्टमेंटलिस्ट्स हैं, जो पर्यावरण की रक्षा करना जानते हैं, जो पर्यावरण को संभालना जानते हैं जिनका पर्यावरण के क्षेत्र में लम्बा अनुभव है उन लोगों को भी अधिकारिक तौर पर इस कमेटी में शामिल करना चाहिए ताकि जिस इलाके में स्पेशल इकोनोमिक जोन बनेगा, वहां के पर्यावरण पर किस प्रकार का असर पड़ेगा इस बारे में हमें जानकारी मिल सके। इस तरह के लोगों को कमेटी में शामिल करने से यह भी फायदा होगा कि जो उद्योग लगेंगे उनसे अंडर ग्राउंड वाटर पर और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न पड़े इस बात का भी हमें पता चल जायेगा। इसलिए इन कमेटीज में पर्यावरण से जुड़े हुए अच्छे लोगों को जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्पेशल इकोनोमिक जोन में क्योंकि एरिया डिफाईन नहीं किया गया है इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पूरे हरियाणा के लिए यह सारा कार्यक्रम बनाया है लेकिन मेरा सुझाव है कि क्योंकि इतनी बड़ी रियायतें इन डिवैलपर्स को इस बिल के माध्यम से दी जाएंगी उनको टैक्सिज मुआफ किए जाएंगे और वहां पर उनको कान करने के लिए इतने बड़े साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जितने भी इस तरह के डिवैलपर्स आएंगे उनके लिए यह व्यवस्था हो कि जो ऑलरेडी डिवैलप्ड इलाके हैं जहां पर डिवैलपमेंट अपने आप हो रही है वहां पर ज्यादा कंस्ट्रैट न हो लेकिन जो हमारे गांव हैं भिवानी तथा हरियाणा के और इलाके हैं जैसे अम्बाला और ऐसे ही दूसरे इलाके जिनको मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े हुए इलाके घोषित किया हुआ है उनके ऊपर ज्यादा कंस्ट्रैट होना चाहिए। कहीं यह डिवैलपर्स जो हमारे अच्छे इलाके हैं उनमें आकर इस तरह के फायदे उठाए और वहीं पर

काम करें और जो हमारे गांव के इलाके हैं जहां पर काम करने की जरूरत है वहां पर काम न करके कोई नुकसान न करें इस बात की तरफ भी ध्यान रखना होगा।

Mr. Speaker : Wind up, please.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कमिश्नर और दूसरी अथोरिटीज फिक्स की हैं मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आने वाले वक्त में हरियाणा प्रदेश को एक दिशा देने वाला जो यह बिल आया है अगर सरकार चाहे तो इसमें और विचार कर ले लेकिन इसके लिए जो रुकड़ बनेंगे उनमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस प्रदेश के अन्दर रहने वाले लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। (विष्ण)

Mr. Speaker : Thank you very much.

Maj. Nirpender Singh Sangwan (Dadri) : Speaker Sir, I would like to make two points in this regard. First is that all the buildings which will come up in the Special Economic Zone, should have water harvesting system otherwise, the Town & Country Planning will not fasten because of water problem. Second point is that the sons of soil who are well-qualified, they should have been given reservation in all the industries and who are un-qualified, reservation is must for them in the industries which will come up in that zone.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर साहब, मैं बहुत ही ब्रीफली कहना चाहूंगा कि इस पर जब पहले बर्चा हुई थी तब भी मैंने मुख्य मन्त्री जी को हार्दिक मुबारिकबाद तथा बधाई दी थी और हरियाणा की सरकार की सराहना की थी। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साढ़े पांच साल यहाँ पर एक सरकार रही जो केवल बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज लो लगाती थी। केवल झूठ और लूट की इण्डस्ट्री उस सरकार ने लगा रखी थी। इस सरकार के बनने के केवल तीन महीने के बाद ही यह सरकार बहुत बढ़िया स्कीम लेकर आई है। पिछले साढ़े पांच साल तक जो सरकार रही वह यह नहीं चाहती थी कि लार्ज स्केल पर विस्तृत रूप से इण्डस्ट्री यहाँ पर आगे जाए। उस सरकार ने लोगों को तो क्या पढ़ाना था वह सरकार टिकट भी ऐसे लोगों को देती थी जो आठवीं फेल थे और आधे जो पढ़े-लिखे थे वे उनसे बहुत ज्यादा डरते थे तथा अपना सिर और गर्दन नीची करके वे लोग अपना वक्त काट गए। जो बाकी बचे वे पार्टी से निकाल दिए गए या पढ़े-लिखे लोगों को टिकट ही नहीं दिए गए। इसलिए उस सरकार का तरक्की का कोई सपना नहीं था। वे लोग केवल झूठ बेचते थे और जनता को लूटते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी को मुबारिकबाद देता हूँ। आप देखिए कि इनके जो सलाहकार लोग हैं जो अधिकारी, मंत्रिमंडल और दूसरे जो लोग हैं वे कितनी बढ़िया स्कीम लेकर आए हैं। इस स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है इससे पूरा हरियाणा आगे जाएगा बशर्ते इनको किसी स्पेसिफिक जगह पर कन्सट्रेंट न किया जाए। इस स्कीम को दिल्ली के आस-पास ही कन्सट्रेंट न किया जाए बल्कि इस स्कीम को दिल्ली के बाहर भी कन्सट्रेंट किया जाए इससे वहाँ पर बहुत ऐडवान्टेज है लेकिन इन्टीरियर में फार ऑफ ऐरियाज भी हैं अगर वे ऐरियाज बेकवर्ड हो जाएंगे तो स्टेट बहुत बेकवर्ड तथा इम्बेलेन्स हो जाएगी। तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, चाहे इसके लिए उनको और कंसैशंस ही क्यों न देने पड़े लेकिन उन इलाकों में स्पोर्ट्स मीटीवेट करें। एस०ई०जेड० के कन्सेप्ट का जो आईडिया है वह बहुत ही नया और बहुत

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

ही अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की तरफ जो हमारे साथियों ने बोलते हुए चर्चा की है, दोबारा से सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब भी स्पोर्ट्स कहेंगे कि यह जमीन उन्होंने स्वयं खरीद ली है या जो जमीन सरकार ने एक्वायर करनी है तो यह बहुत इनीशियल स्टेज होगी लेकिन ये काम करने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद तो प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद वे फिर डिवैल्प करेंगे। जब भी एस०ई०जैड० की कोई फाइनल स्टेज पहुंचे तब स्पोर्ट्स की यह ड्यूटी होनी चाहिये और सरकार को ऐक्ट के और कायदे के थू यह इंफोर्स भी करना चाहिए कि वह सबसे पहले यह बताएं कि जो गांव उजड़ेंगे क्योंकि एक या दो गांव तो उजड़ेंगे नहीं बल्कि कई गांव इसमें उजड़ सकते हैं तो वहां के लोग कहां जाएंगे? वहां के लोग कोई घास तो खोदेंगे नहीं या वहां के लोग मिट्टी तो डोएंगे नहीं। इसलिए एस०ई०जैड० के साथ साथ वहां के गांवों के लोगों की तरक्की भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके लिए सरकार एडवान्स प्लानिंग भी करेगी। उदाहरण के तौर पर जो वहां के बेरोजगार बच्चे हैं, वहां के जो बड़ी उम्र के लोग हैं, सीनियर सीटिजन्स हैं इन सबको एम्प्लायबल लोग बनाने के लिए एडवान्स में सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। जिस किस्म की एस०ई०जैड० में इंडस्ट्रीज लगेंगी उसी किस्म के ट्रेनिंग के लिए इंस्टीच्यूशंस इमीडिएटली वहां पर सेटअप करने पड़ेंगे। इसी तरह से जब एस०ई०जैड० लगेगा तो वे लोग वहां पर गांवों को नहीं रखेंगे और अगर रखेंगे भी तो वे गांव स्लम की तरह ही हो जाएंगे। इसलिए एडवान्स में उनके लिए मार्डन हाउसिंग भी बनाने पड़ेंगे। उनके लिए उसी जगह पर प्रिफरेंब्ली मकान बनाने पड़ेंगे। वहां पर उनके लिए अच्छी यूनिट्स बनानी चाहिए जिसमें पूरी फैसिलिटीज मौजूद हों। वे उसी स्थान पर या उसके आसपास गांवों के लोगों की मर्जी से बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी वहां पर पूरा तैयार करना चाहिए। इसमें स्कूल हों, होस्पिटल हों और ट्रेनिंग सेंटर भी हों। इसके अलावा फार्मर्ज को एस०ई०जैड० के अंदर अपने फार्म हाउस बनाने के लिए एक स्पेसिफिकेशंस के तहत दो एकड़, तीन एकड़ या पांच एकड़ की जमीन भी दी जानी चाहिए ताकि वे वेजीटेबल या होटीकल्चरल की खेती कर सकें, पोल्ट्री कर सकें या डेयरी का व्यवसाय कर सकें। इस तरह से जो स्पोर्ट्स हैं इससे पहले कि वे गांवों के लोगों के खेतों पर ऐस्टेबलिश हो जाएं, इनके जिम्मे बहुत सी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि यह यह इंफ्रास्ट्रक्चर वे तैयार करेंगे। इसके अलावा एस०ई०जैड० के जो स्पोर्ट्स हैं वे बाद में उस जमीन के टुकड़ों को दुकानें बनाने के लिए या कर्मशियल कम्प्लेक्स बनाने के लिए या वैरीयस ऐक्टिविटीज के लिए जैसे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आगे किसी को बेच न सके तो उस पर भी निगाह रखनी पड़ेगी कि वह आगे जाकर प्रोपर्टी डीलर का काम न शुरू कर सकें। जिसकी जमीन सरकार ने एक्वायर की है वह फिर दोबारा से वे लोग न बेच सकें तो इन बातों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो स्मॉल फार्मर्ज हैं या लैंड लैस लोग हैं उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए, उनके अपने रोजगार देने के लिए, चाहे कर्मशियल शॉप्स हों या चाहे जो माल बनें वे वह प्रिफरेंब्ली उनको अलौट किए जाने चाहिए, वह उनको बनाकर दिये जाने चाहिए या फिर अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहें तो उनमें इस तरह के लोगों की भी प्रिफरेंस होनी चाहिए, इम्प्लॉयमेंट की गारंटी भी उनके लोगों के लिए होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट वहां सेटअप होने चाहिए ताकि वे काम करने के लिए कैपेबल हों। इस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के जिम्मे होगा। जो स्पोर्ट्स हैं वह उनको तैयार करना चाहिए ताकि जो लोग

जिनकी जमीनों के ऊपर एस०ई०जेड० बनेगा, वे यह कहें कि हमारी तो किस्मत खुल गई है और वे सरकार को आशीष दें और समाज का एक बेहतर पाठ बनें और कंट्रीब्यूट कर सकें। किसानों का और खेत मजदूरों का हित सरकार को सर्वप्रिय है और इस ऐक्ट को पूरा करते हुए भी होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।

श्री ए०सी० चौधरी (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश की बिगडती हुई इंडस्ट्रियल हेल्थ को देखकर जो पिछली सरकार के कारनामों का नतीजा रही है यह बिल लेकर आई है। पिछली सरकार के गलत कारनामों की वजह से उद्योगपति प्रायः अपने उद्योग यहां से समेटने या बंद करने पर विवश हुए। आज हरियाणा उद्योग के तौर पर बहुत ऊंचा जा सकता था लेकिन उद्योगों के बंद होने से आज हरियाणा तबाही के कगार पर है। सरकार बधाई की पात्र है कि उसने इस कंसैप्ट को आगे लाकर यह अमेंडमेंट हमारे सामने रखा है। मेरा सरकार को सुझाव है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स/प्रारूप, ड्राफ्ट हमें टेबल पर सेशन वाले दिन मिलते हैं इसलिए हमारा पूरा ध्यान उन पर नहीं जा सकता। कई अच्छे प्रोजेक्ट्स यदि बिफोर टाईम दे दिये जाएं तो उससे हमें और भी फायदा मिल सकता है। सुरजेवाला साहब ने अपने कमेंट्स में कहा कि दिल्ली के आसपास एस०ई०जेड० न हो। (विघ्न) फरीदाबाद की खस्ता हालत को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि वे अपनी बात को अमेंड करेंगे और फरीदाबाद की बात को छोड़कर बाकी जगह की बात करेंगे। आज मैं कुछ बातें सरकार की नॉलेज में लाना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने जितनी भी इंसेंटिव स्कीम्स बनाई जिनसे कि फौरेन इन्वेस्टमेंट को और बिग बिजनेस हाउसिंग को अटरेक्ट करने का प्रावधान रहा, ताकि प्रदेश तरक्की करे। आम हालत में यह देखा गया कि उद्योगों के समूह ने या इंडीविजुअल उद्योगों ने जमीन ली और कुछ समय तक उद्योग चलाकर फिर बहुत बड़े प्रॉफिट पर उन जमीनों को बेचकर चले गए। सरकार की यह भंशा हो कि स्टेट को रेवेन्यू मिले और प्रदेश के अंदर लोगों की बेरोजगारी दूर करके उनको रोजगार मिल सके। वे उद्योगपति जो पहले तो उद्योग चलाकर फायदा उठाते रहे और बाद में किसी और काम के लिए जमीन बेच दी। मैं चाहूंगा कि इस मामले में सरकार प्रतिबद्धता दिखाये कि जिनको भी एस०ई०जेड० की फेसिलिटीज मिलेंगी उनके ऊपर यह प्रतिबंध भी लगाया जाए कि वे जमीनों को किसी और काम के लिए न बेच सकें। कारखाने कारखानों के तीर पर चलें न कि आगे चलकर वे शॉपिंग माल्स बन जाएं, जैसाकि आज चलन हो रहा है। इम्प्लायमेंट को इन्क्रेज करने के लिए साधन ढूँढने के लिए सरकार ने यह अच्छा काम किया है। मैं एक बात से सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय विदेशों से आए माल पर हमारा देश आधारित था। आज हमारे अपने देश के भीतर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो विदेशी इम्पोर्ट्स रोककर देशी चीजें बना रही हैं। आज हमारे देश के अंदर तोप के गोले और बम के ट्राई पीट इंडिया में ही दस प्रतिशत कॉस्ट पर बन रहे हैं। मेरा कहना है कि जो इंडीजिनियस इण्डस्ट्री को इग्नोर करके उसके कंपीटीटर्स को अपने यहां आकर हॉसला दिया, सहूलियतें दी, वे कल चलें या न चलें लेकिन जो औरिजिनली हमारे लोग यहां 20-20 साल से एस्टैब्लिशड हैं वे अगर छोड़ गए तो यह देश का बहुत बड़ा अहित होगा। इम्प्लॉयमेंट की लॉग टर्म फेसिलिटीज प्रि-रिक्वीजिट हों। जिस तरह से हमारे साथी ने एक शब्द में कह दिया sons of the soil यह सही है कि आज अगर हरियाणा के टोटल उद्योगों के मजदूरों की गिनती करें तो वे दस प्रतिशत हरियाणा के और 90 प्रतिशत बाहर के हैं। चाहे इस बात की परसेंटेज न हो तो जिस पोस्ट की रिकैसिज हो उसके लिए यह जरूरी

कर दें कि उस पोस्ट को भरने के लिए लाजिमी तौर पर हरियाणा के किसी भी जिले का बच्चा उस पोस्ट के लिए क्वालीफाई करता हो उसको लगाया जाएगा। इस बात के लिए सारे हरियाणा में नोटिफाई कर दिया जाए ताकि कोई बाहर का आदमी इससे नाजायज फायदा न उठा सके। आज भी किसी भी काम के लिए कोई जमीन अलॉट की जाती है तो उसमें यह जरूर कर दिया जाये कि कोई भी आदमी उस जमीन को लीज पर नहीं देगा, ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं करेगा, पार्टनरशिप की आइ में किसी को नहीं बेचेगा। एलिनिवेट करने के हर रास्ते को बन्द कर देना चाहिए। अगर इण्डिजिनियस इण्डस्ट्रीज यहाँ पर लागेंगी तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और मार्किट में जो पड़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिल सकेगा। स्पीकर सर, मैं हालात को देखकर यह कहने के लिए विवश हूँ वरना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोलने के लिए कम ही समय लूँ क्योंकि फरीदाबाद की बदहाली का नमूना मेरे सामने है। मैं चाहूँगा कि अगर सरकार द्वारा कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसमें इन्वार्नमेंटलिस्ट, इण्डिस्ट्रलिस्ट तथा किसी एक्सपीरियेंस्ड आदमियों को उस कमेटी में शामिल करना चाहिए चाहे सरकार को इसके लिए प्राईवेट एजेंसियों को इन्वोल्व करना पड़े क्योंकि वह कमेटी सरकार की आँख और कान का काम करेगी। हर मामले में सरकार को आगाह करेगी और सरकार के आदेशों की अनुपालना करेगी।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सैप्रेट हाईकोर्ट के बारे में रैजोल्यूशन पर आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम स्वस्थ परम्परा को कायम करेंगे। मेरे साथी कहते हैं कि चौटाला साहब की पार्टी के सिर्फ 8 ही सदस्य हैं। फिर भी स्पीकर साहब या तो इन्दौरा जी का नाम लेते हैं या फिर गौतम जी का। इतना बड़ा इश्यू था लेकिन उस पर बोलने के लिए मुझे आपने वंचित रखा यह बड़े खेद की बात है। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :- स्पीकर सर, मैं पूरे सदन को यह सूचित करना चाहूँगा कि आपका बड़ा उदार हृदय और रवैया रहा है चाहे वह गौतम जी हों चाहे नरेश जी हों, चाहे इण्डिपेंडेंट सदस्य हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हों, इनैली पार्टी के सदस्य हों, चाहे एन०सी०पी० के सदस्य हों और चाहे दूसरी पार्टी के सदस्य हैं उनको पूरा मौका बोलने के लिए दिया गया है। ये माननीय सदस्य बिल पर बोल रहे हैं मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाये ताकि इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएं।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जेड० के बारे में जो बिल सदन में रखा गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि यह बिल प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। स्पीकर सर, आज भी अगर हम इण्डस्ट्रीज के बारे में देखें तो हरियाणा प्रदेश से ज्यादा हिमाचल और उत्तरांचल राज्यों में इण्डस्ट्रीज लग रही हैं जहाँ पर इतने दुर्गम रास्ते होने के बावजूद भी कच्चा माल ढोना बहुत महंगा पड़ता है। पिछले पाँच साल में एक बहुत अच्छा माहौल था जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की कई बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज को पोल्यूशन फैलाने के कारण पलायन करने के आदेश दिए थे लेकिन हरियाणा की बदकिस्मती थी कि चौटाला साहब की सरकार ने इण्डस्ट्रीज को यहाँ आने की बजाए उनको यहाँ से भगाने का काम किया। स्पीकर सर, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एस०ई०जेड० छोटे एरिया में तो बनेगा नहीं इसके लिए तो बहुत जमीन की आवश्यकता होगी इसलिए बहुत गाँवों की जमीनें इसके लिए ऐक्वायर की जायेगी। स्पीकर सर, इण्डस्ट्रीज लगाने के

लिए सबसे बड़ी समस्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की होती है। इसलिए कई जगह मैंने देखा है कि एस०ई०जेड० में अगर आप हर इण्डस्ट्री को कहें कि आप अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ। आप यह करो वह करो, फिर वही इन्स्पेक्टरशाही राज रहेगा, अगर इस एस०ई०जेड० में जब आप सारे सिस्टम डालेंगे, पाइप दबाएंगे, सीवरेज देंगे, चूंकि एक तरफ तो पानी की वेसे ही कमी है, दूसरे एस०ई०जोन में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें इन्वलयुड हो जाए तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत सुविधा रहेगी। आज पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे वाटर हारवैस्टिंग की बात है। इससे बहुत बड़ी राहत इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए होगी। गुडगांव में मानेसर में भी पिछली सरकार ने एस०ई०जेड० की प्रोजेक्ट शायद केन्द्र सरकार को भेजी थी, मेरे ख्याल से अभी तक उसको स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सरकार की तरफ से इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। उस दिन माननीय वित्त मंत्री चौधरीन्द्र सिंह जी मेरे साथी हैं उन्होंने बहुत बढ़िया बातें कही थीं कि अपने हरियाणा के गांवकगण पहले घड़वे फोड़ते थे, ढोलक फोड़ते थे लेकिन अब ढोलक की बजाय गोली फोड़ने लग गए हैं क्योंकि काम रहा नहीं, हमारी संस्कृति रही नहीं। आदरणीय सुरजेवाला जी ने बड़े अच्छे विचार रखे मेरे और साथियों ने भी अपने विचार रखे जो कि हकीकत है। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां के 10-15 बच्चों के हाथों में बन्दूक न हो और इस काम में पिछली सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यह बात मैं खासकर रोहतक जिले के बारे में कहना चाहूंगा और आज भी ऐसी स्थितियां है, मुख्यमंत्री शायद अपने कैबिन में सुनते हों, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरे गांव सुनारिया में प्रशासन और सरकार के बीच कुछ कहा सुनी हुई, मैंने डिप्टी कमीशनर महोदय को कहा कि इस मामले को शांति से निपटाने दें मैं मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं बात करूंगा, गांव वालों से बात करूंगा, इस मामले को राजनैतिक रंग न दें, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से मिला उन्होंने कहा ठीक है इसको रफा दफा करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं गांव वालों से मिलकर और डी०सी० से मिला, मैं बाइनेम कहूंगा कि मैं मिस्टर-दून से मिला, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ आदमी हैं। चौटाला साहब जी ने इस डी०सी० को अपने साथ रखकर पांच साल तक डटककर शासन चलाया। आपके डी०सी० आज भी चौटाला के गुण गा रहे हैं। यह डी०सी० रोहतक की बात है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़े शरीफ आदमी है, यह डी०सी० रोहतक की खर्चिग हैं। मैंने उनसे यह अनुरोध किया कि जो शरीफ हैं आप उनको शरीफ रहने दें। चौटाला जैसा न बनाए वरना जो हालत आज चौटाला की है कल उनकी भी होगी। उनका तात्पर्य यह था कि चौटाला की तरह सरकार चलाए, लट्ट बरसाए, 350 आदमियों पर उन्होंने भुक्त में दर्ज कर दिए। मुख्यमंत्री जी गांव-गांव से वाकिफ हैं, सुनारिया गांव के कम से कम 500 आदमियों को से बाय नेम जानते हैं, सबको बुलाकर बात कर सकते थे, ये कोई मेटर ही नहीं था, अधिकारी इस तरह का व्यवहार रखें तो ठीक नहीं है। मेरे एक एक गांव में माननीय मंत्री सुरजेवाला जी ने बहुत पैसे दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे लिखकर पत्र भी भेजा कि आपके इन इन गांवों में ये ये स्कीमें भेजी जा रही हैं। इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करवाने में आप साथ दें और बहुत सी स्कीमें सरकार और जाने जा रही है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अगर लोकल कंसर्ड एम०एल०ए० से बात कर ली जाए, जो वह सरकार का इन कामों में हाथ बटाएंगे, उनका साथ देंगे। हमें इस बात का दुःख नहीं बल्कि खुशी है कि सरकार आज अच्छे काम कर रही है, आज मुख्यमंत्री महोदय जी जो काम कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी जो काम कर रहे हैं और दूसरे मंत्री जो काम कर रहे हैं, सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार है और ये सारे काम कांग्रेस ही कर रही है। हम सरकार का हाथ बंटा

[श्री नरेश मलिक]

सकते हैं, सरकार को अच्छे मशखिरे दे सकते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कराना चाहता। (विष्णु) में ज्यादा समय न लेते हुए मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के सांपला में पीने के पानी की बहुत समस्या है, इस समस्या का भी समाधान किया जाए। बहन करतार देवी जी बैठी हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैं अपने यहां होस्पिटल में गया था, मैंने पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर रात को वहां गया था, सी०एच०सी० की हालत ऐसी है कि पी०डब्ल्यू०डी० ने 100 प्रतिशत उसको कंड़म कर रखा है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध है डॉक्टर के रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं है, डॉक्टर रुके तो वहां कहां रुके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की इस समस्या का समाधान किया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हमारी सरकार जो यह हरियाणा स्पेशल इकनॉमिक जोन बिल लेकर आई है इसके लिए मैं अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और इस बिल का स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का बिल एक बड़ी सोच रखने वाली सरकार और बड़ी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री ही ला सकते हैं। मैं समझती हूँ कि पिछली सरकार ने जिस तरह की हरकतों की वे इस सदन में और सदन के बाहर भी चर्चा का विषय रही हैं। पिछली सरकार की लूट की वजह से, काली करतूतों की वजह से बहुत सी इन्डस्ट्रीज हमारे यहां से चली गई हैं। जिसके कारण हरियाणा प्रदेश की इकनॉमी पर और आम जनता की इकनॉमी पर असर पड़ा है। आज हमारी सरकार जो यह स्पेशल इकनॉमिक जोन बिल लेकर आई है इसके माध्यम से हरियाणा में उद्योगों को वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंटेन टाऊनशिप प्रोवाइड किया जायेगा और अधिक से अधिक यहां इन्वैस्टमेंट्स होंगी। जिससे बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जायेगा जो सांप की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। बेरोजगारी की समस्या ऐसी समस्या है जो कालें सांप की तरह मुंह बाए हुए हैं। इस समस्या को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त ब्रेन ड्रेन की समस्या की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। हमारे जो इन्टेलीजेंट बच्चे हैं वे विदेशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन की समस्याओं को ध्यान में रखकर हमें अपने यहां ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले और जो इन्टेलीजेंट बच्चे हैं वे यहां रहकर हमारी तरफकी में अपनी भागीदारी दें। हमारी सरकार जो यह स्पेशल इकनॉमिक जोन बिल लेकर आई है इससे इन समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी जिसके बारे में यहां अभी चर्चा भी की गई है कि ऐसा न हो कि जो अमीर जिले हैं वे और अमीर हो जायें और जो पिछड़े हुए जिले हैं वे और पिछड़े जायें। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाये। स्पेशल इकनॉमिक जोन के तहत जो अन-डिबैल्ड क्षेत्र हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाये ताकि वहां के युवकों को भी रोजगार मिल सके। इस बिल के माध्यम से जो इन्वैस्टमेंट्स हरियाणा में होंगी जिससे जो दाथरे बड़ेगे उससे युवाओं को भी विशेष लाभ मिलेगा। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि पढाई-लिखाई के क्षेत्र में हमारे प्रांत के जिन युवकों ने तरक्की की है उनको ही परफोरमेंस के हिसाब से हरियाणा के और जिले के युवकों को स्पेशल इकनॉमिक जोन में लगने वाले कारखानों में रोजगार दिया जाये ताकि हमारे यहां इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाये। धन्यवाद।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : स्पीकर सर, आपने मुझे हरियाणा स्पेशल

इकनॉमिक जोन बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ कि हरियाणा सरकार एक अच्छा बिल लेकर आई है। हमारे प्रांत के विकास के लिए इस बिल में काफी सुविधाएं इन्होंने दी हैं। पिछली सरकार के समय में कारखानों के दरवाजों के आगे खाई खोदी जाती थी लेकिन इन्होंने कहा है कि ये सड़क बनवायेंगे। इस बात के लिए भी मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं सरकार को आपके माध्यम से एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए गांवों की जो भी जमीन एक्वायर की जाये उस समय गांवों के साथ लगती थोड़ी बहुत जमीन छोड़ी जाये। पहले हुआ ने भी जमीन एक्वायर की है। उस समय गांव के घरों के साथ तक की जमीन एक्वायर कर ली गई। इसलिए भेरा सुझाव है कि गांव के आस-पास की थोड़ी बहुत जमीन छोड़ी जाये ताकि अगली पीढ़ी को मकान बनाने के लिए वहां जमीन बच जाये और उन्हें अपना गांव छोड़कर कहीं पलायन न करना पड़े। भेरा यह सुझाव स्पेशल जोन के लिए है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने किसान को जमीन की अच्छी कीमत दी है यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन कॉलोनाईजर्स की वजह से जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे कॉलोनाईजर्स को रोकने की आवश्यकता इस स्पेशल जोन के अन्दर भी है। अगर कोई जमींदार इनसे प्लॉट ले कर स्लीपिंग पार्टनर बनता है या रि-सेल करता है तो उसको रोकने का प्रावधान भी इसके अन्दर होना चाहिए। जो जमीन ली जाए उस पर उसके बाद कारखाना लगाए न कि उस जमीन को किसी दूसरे आदमी को बेचकर उस जमीन का व्यापार ही शुरू कर दे। दूसरी बात यह है कि जो कमेटी हम बना रहे हैं उस कमेटी के अन्दर टेक्नीकल आदमी की बात कही गई है इसके साथ ही साथ इसमें व्यापार मण्डल का भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि मौके पर जो बात उठती है। वह व्यक्ति उसका जवाब दे सके। इसके साथ ही साथ एक-जन-प्रतिनिधि भी सरकार की तरफ से होना चाहिए ताकि अगर कमेटी के अन्दर कहीं कोई धीगामरती होती है वह जन-प्रतिनिधि उस पर नजर रख सके उस पर वाध रख सके। मैं इस बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सरसों और बाजरे की फसल सरकार खरीदती है हमारे महेन्द्रगढ़ के किसानों के लिए सरकार काफी पैसा देती है लेकिन इसके बावजूद भी फसल खरीदने के लिए केवल दो ही आदमी होते हैं, एक इन्स्पेक्टर होता है और एक उनका जिला अधिकारी होता है। मान लीजिए एक जिले के अन्दर एक हजार किंटल सरसों पैदा हुई तो पांच-पाँच हजार किंटल सरसों वहां पर खरीदी गई लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पर यह आरोप लगता है कि सरकार ने पूरी सरसों नहीं खरीदी। इसलिए इस तरह की अराजकता है और उसको रोकने के लिए यह हो सकता है कि जन-प्रतिनिधि इस बात को देखे और वह सारी बात सरकार तक पहुंचाए ताकि इस प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। इसके साथ ही जो इकनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सीमा के बारे में सोचा जा रहा है वह शायद बिलासपुर से आगे नहीं बनता है। उद्योग मन्त्री जी से हमने पहले भी निवेदन किया था और अब भी निवेदन करते हैं कि इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए 40 हजार एकड़ जमीन वहां पर खरीदने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इसके साथ ही उस इण्डस्ट्री की सहायक इण्डस्ट्री लगाई जानी चाहिए। जी०टी० रोड नेशनल हाईवे नम्बर 8 महेन्द्रगढ़ से दिल्ली जा रहा है और हमारा इलाका इस रोड से केवल आठ किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे यहां पर जमीन में मीठा पानी भी है। अब आप यह कहेंगे कि कुछ दिन पहले तो मैं वहां पर पानी की कमी बता रहा था लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उस इलाके के बारे में कुछ सोचना होगा और महेन्द्रगढ़ जिले की जो टोपोग्राफी है उसको समझना होगा। वहां पर कई जगहों पर तो पानी ऊंचा है और

[श्री राधे श्याम शर्मा अमर]

कहीं पर पानी नीचा है इसके साथ ही साथ वहां पर मीठा पानी कहीं कहीं पर 1400 फुट गहरा है और कहीं पर पानी खारा भी है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो जमीन अटेली के पास शेखों गढ़ाना से होते नांगल चौधरी सड़क के पास पड़ती है, यह सड़क मेरे गांव तक और राजस्थान बॉर्डर तक जा रही है यह सारी की सारी लाईन भीठे पानी की लाईन है। यहां पर पानी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और ज्यादा निचाई पर नहीं है, पानी उंचाई पर ही है। सरकार यमुना नदी के पानी को वहां पर पहुंचा कर रिचार्जिंग की जो स्कीम बना रही है अगर वह स्कीम कामयाब होती है तो उस इलाके के अन्दर इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए मीठे पानी की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस जोन को भी थोड़ा डिवेलप किया जाए। सबसे पहले जोन के साथ-साथ एक सहायक स्पेशल जोन क्रिएट करके उन लोगों को भी यह महसूस करवाया जाए कि इस जनकल्याणकारी सरकार के अन्दर जो वायदा हमारे माननीय मुख्य मन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किया है इस इलाके के लोगों को भी इस जनकल्याणकारी सरकार होने का कुछ लाभ मिल सके। यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मन्त्री जी से और सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी को कहना चाहता हूँ जिससे सारे हरियाणा की जनता यह महसूस करे कि राज हमारा है और राज्य सरकार हमारा भी मला चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से फिर से इस बिल का समर्थन करता हूँ तथा सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ जिनके विजनरी होने के प्रतीक के रूप में एक ऐतिहासिक एम०ई०जैड० बनाने का एम०ओ०यू० साईन किया गया। अध्यक्ष महोदय आज तक हरियाणा की पहचान मात्र कृषि से रही है और इसे कृषक प्रदेश के नाम से ही जाना जाता रहा है क्योंकि यहां के 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर करती है। आमतौर पर हरियाणा की ऐग्रीकल्चर के लिए यह कहा जाता है कि *there is no culture except agriculture in Haryana*. लेकिन जब से चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने इस प्रदेश का बहुमुखी विकास तेजी से करने के प्रयास किये हैं। आज इसी का परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। हम उनको इस बात के लिए बधाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हरियाणा से उद्योग पलायन करने के लिए तत्पर रहते थे और सरकार की नीतियों के विरोध की वजह से ऐसा होता था। आज चारों तरफ से विनिवेश के प्रोजेक्ट हमारे पास आये हुए हैं। इसी संदर्भ में मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जब वे लोग विनिवेश के लिए यहां पर आते हैं तो सबसे पहली चीज वे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। आज गुडगांव में जो तरक्की हो रही है उसके दो कारण रहे हैं एक तो *being in close of proximity of Delhi* और दूसरा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का डिवेलपमेंट। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र महेन्द्रगढ़ शुरु से ही उपेक्षित रहा है। हैडक्वार्टर महेन्द्रगढ़ एट नारनौल डिस्ट्रिक्ट यानी नाम के साथ भी एक तरह से भेदभाव रहा है। साथ ही आज जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि आप तो पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं। मैं कहता हूँ कि जैसे अब एक स्वस्थ परम्परा हाउस के अंदर शुरू हो गयी है तो उस पिछड़े क्षेत्र को भी आने लाने के लिए परम्पराएं शुरू की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हमारे क्षेत्र से लगता हुआ राजस्थान का नीमराणा एक क्षेत्र है जिसको राजस्थान सरकार ने औद्योगिक रूप से और नम्बर दन मार्डन सिटी ऑफ दि स्टेट बनाने के लिए अभी भी

काम शुरू किया हुआ है। हमारा क्षेत्र भी उसी के साथ लगता हुआ है। जब कनेक्टिविटी मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है तो गाड़ी में बैठकर कोई भी उद्योगपति बीस किलोमीटर फालतू चलने से गुंथेज नहीं करता। अगर दो किलोमीटर रास्ता खराब है और बीस किलोमीटर का अच्छा रास्ता है तो वह बीस किलोमीटर को अडाप्ट करता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जो एन०एच० ४ हमारे यहां से जाता है उसका जो शाहजहांपुर बोर्ड जखीमपुरखेड़ा के साथ हमारा बोर्डर लगता है वहां से एक नया रोड देकर महेन्द्रगढ़ तक उस लाईन को लेकर हिसार और जयपुर को जोड़ने वाला जो रास्ता है, उससे मिलाया जाए ताकि फोरलेन के बाद में औद्योगिक रूप से विकसित होने के लिए आपके पास नारनौल, महेन्द्रगढ़, अटेली, कनीना का बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। इसको अगर साथ ही कोसली से और झज्जर से होकर दिल्ली से जोड़ दिया जाए तो जैसे एक टूरिज्म केंद्र एक गोल्डन ट्रायंगल के नाम से आगरा, दिल्ली और जयपुर जाना जाता है वैसे ही यह भी जाना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो भी सैलानी हिन्दुस्तान के अंदर आता है वह इन तीनों जगहों को देखना अवश्य पसन्द करता है। मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिस दिन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां पर दे देंगे तो जो उसके बाद उद्योगपति आएगा उसकी सबसे पहली चॉयस इसी इलाके में उद्योग लगाने की होगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी और इससे हमारे बेरोजगार लोगों की समस्या का भी समाधान होगा। आज जो हम खाली कृषि पर ही निर्भर करते हैं तो इससे हमारे बहुमुखी विकास में भी हमारे उद्योगों का सराहनीय योगदान होगा। सर, यही मेरा एक सुझाव था।

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Minister will reply.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, आज जो बि हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल, 2005 हाउस में लाया गया है यह औद्योगिक क्रान्ति के एक नये युग की शुरुआत, एक नये युग का सूत्रपात हरियाणा प्रान्त में करेगा। माननीय सदस्य ए०सी० चौधरी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भाई नरेश जी ने भी सही कहा था कि एक समय ऐसा भी था जब हरियाणा से उद्योग पलायन कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में हमने एक ऐसी सरकार भी देखी जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री को अगर उद्योगपति उनके निवास पर जाकर एक निश्चित राशि देकर नहीं आते थे तो उनके घरों के आगे, उनकी फैक्ट्रियों के आगे जे०सी०बी० मशीनों से गढ़दे खुदवा दिए जाते थे। लेकिन अब एक नयी शुरुआत चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अब हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने की है। उद्योग मंत्री ने इस बिल की रूपरेखा तैयार की है। कई सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव इस बिल पर दिए हैं। माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल जी ने अमैनिटीज की चर्चा करते हुए यह शक जाहिर किया कि जब एस०ई०जेड० बनेगा तो किस प्रकार की अमैनिटीज वहां पर उस व्यक्ति के द्वारा जो एस०ई०जेड० बनाएगा, मुहैया करवायी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बिल की सेक्शन 8 (1) और 8(2) ए की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि हम इस बात के लिए सचेत हैं कि जो भी इकोनॉमिक जोन आए तो वहां पर पूरी अमैनिटीज का प्रोविजन किया जाए। इस बिल की क्लॉज 8 (1) में लिखा हुआ है कि --

“Subject to the provisions of this Act, the Developer shall have the duty to secure planned development of the Special Economic Zone and provide for the establishment, construction, installation, operation, maintenance and management of the infrastructure and

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
amenities in the Zone”.

Speaker Sir, the word 'shall' is here. और अमेनिटीज क्या हैं, वह सारी डिफाइन् की हुई हैं। माननीय सदस्य ने पढ़ा। स्पीकर सर, 8(2)-ए के अंदर जितने भी क्लस एंड रेगुलेशंस हैं उनकी कंफ्लायंस भी आवश्यक है मैं इस पर माननीय सदस्य और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। In Clause 8(2), it is mentioned—

“(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Developer shall exercise and perform the following powers and functions, namely :—

- (a) to prepare the development plan of the Special Economic Zone in conformity with the rules framed under this Act or adhered to by the Developer under Sub-Section (3) or as may be adopted by the Government under sub-section (4) of Section 17 and to implement such plan after obtaining the approval of the Approval Committee.”

और सैक्शन 17 (3) के अंदर यह रिक्वायरमेंट है कि जहां कहीं विशेष आर्थिक जोन कंट्रोल्ड एरियाज में एप्रूव्ड किया जाता है, पंजाब शिडयूल्ड रोड्स तथा कंट्रोल एरियाज में अनियमित विकास निर्बंधन एक्ट, 1963 के अधीन बनाए गए भवन नियमों के उपबंधों का पालन करने के लिए विकासक को निर्देश कर सकती है। इस बात से माननीय सदस्य भी और माननीय सदन भी बिल्कुल आश्चर्य रहें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी अमेनिटीज, जो बिल में हैं, नहीं देगा वह स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकेगा। माननीय सदस्य ने इन्वार्नमेंट इश्यूज की चर्चा की स्पीकर सर, मैं बताना चाहूंगा कि यह बिल भी केंद्रीय बिल की तर्ज पर बनाया है। जो केंद्रीय बिल है प्राइमरी एप्रूवल उसके अंदर एस०ई०जेड० की दी जाती है वह हम नहीं देते हैं, इन्वार्नमेंट सेक्रेटरी एप्रूवल देते हुए सदस्य हैं। माननीय सदस्य यदि इस बारे में 4ए ई देखें इसमें सेक्रेटरी इन्वार्नमेंट को सदस्य बनाया है जहां तक एक्सपर्ट्स का सवाल है, एक्सपर्ट्स को हमेशा दोनों कमेटीज के द्वारा कंसल्ट किया जा सकता है लेकिन भारत सरकार मूलभूत एप्रूवल देती है। मेजर नृपेश सिंह सांगवान ने वाटर डारवेस्टिंग सिस्टम की चर्चा की। उसके लिए अलग से एक कानून का मसौदा सरकार तैयार करने में लगी हुई है इससे माननीय सदस्य की जो शिकायत है वह दूर हो जाएगी। स्पीकर सर, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने बैकवर्ड एरियाज में इकोनॉमिक जोन खोलने की बात की। स्पीकर सर, जैसाकि आपको भी मालूम है कि उसके लिए केंद्र सरकार इनकी प्रिंसिपल एप्रूवल देती है। एक एप्रूवल केंद्र सरकार ने मेवात के इलाके के लिए दी है। वह एप्रूवल एस०आर०एम० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दी है। तकरीबन 500 करोड़ रुपये की राशि दक्षिणी हरियाणा के पिछड़े इलाके के अंदर इसके माध्यम से आने की आशा है, प्रोवाइडेड हमारी जो कमेटीज हैं उसको एप्रूवल दें कि वह व्यक्ति जिसको इन प्रिंसिपल एप्रूवल मिली है वह सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। माननीय सदस्य श्री ए०सी० चौधरी ने फरीदाबाद की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा, वे अब तो सदन में नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने

आई०टी०, एस०ई०जेड० की इन प्रिंसिपल एप्रूवल दे दी है। मेसर्स हरियाणा टेक्नोलॉजी पार्क को, ऐसी आशा है कि अगर वे सारी शर्तों को पूरा करेंगे, हमारी कमेटीज से एप्रूवल ले लेंगे तो 1200 करोड़ रुपये का निवेश उसके माध्यम से अकेले फरीदाबाद जिले के लिए आएगा। श्री नरेश मलिक ने हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश की बात कही और खुद ही अपनी बात का जबाब दे दिया कि एक ऐसी सरकार थी जो सड़कों और फैक्ट्रियों के आगे गढ़दे खुदवा देती थी तो किस प्रकार से यहां उद्योग धंधे आते। हिमाचल और उत्तरांचल तो हिंदी स्टेट्स हैं उनको केन्द्र ने स्पेशल इकोनोमिक जोन पैकेज और कंसेशन दिया है जो इस प्रांत में तो नहीं है। जहां तक आपने सीपरेज आदि की बात की है कि सरकार इनको मुहैया करवाए। मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहूंगा कि सड़कों, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सीपरेज की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो एस०ई०जेड० बनाएगा, तभी उसको एस०ई०जेड० की अनुमति दी जाएगी, उसके बगैर अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इस बात के लिए माननीय सदस्य बिल्कुल आश्वस्त रहें। कई सुझाव माननीय सदस्य गीता भुक्कल, माननीय सदस्य श्री राधेश्याम शर्मा और राव दान सिंह ने दिए, वह हमने नोट किए हैं और उन पर हम अवश्य गौर करेंगे। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि निर्यात के युग के अंदर हरियाणा का एक विशेष योगदान रहेगा। हिन्दुस्तान से जो निर्यात होगा वह स्पेशल इकोनोमिक जोन बिल, 2005 के माध्यम से होगा। आज तक दस एप्रूवल इन प्रिंसिपल मिली हैं जिनमें से एक हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन को मिली है और 9 अन्य हैं जो हमारे पास आई हैं और वे विचारार्थी हैं, 17.00 बजे उनको प्रोसेस करेंगे और जहां तक रोजगार के सृजन की बात है जो कि मुख्यमंत्री और सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की प्राथमिकता है हरियाणा में निवेश को लेकर आना। ये दोनों स्थपन सरकार के और मुख्यमंत्री जी के और कांग्रेस पार्टी के हम साकार करेंगे और जिन इलाकों के अन्दर एस०ई०जेड० लगेगा उसमें हमारा यह प्रयास रहेगा। मैं बायदा तो नहीं करता लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्थानीय व्यक्तियों को उनके अन्दर रोजगार के माध्यम से भौका दिया जाए ताकि पूरे हरियाणा प्रान्त के लोगों को सामूहिक प्रगति का अवसर मिलेगा। इसके साथ मैं आपसे और आपके माध्यम से पूरे सदन से यह अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पारित कर दिया जाये।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरी एक आपत्ति है कि मैंने बोलते हुए जो यह कहा था इण्डस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में लगनी चाहिए वह एक वाईटल इश्यू था। वह यह था कि जो किसान, खेत मजदूर गरीब और छोटे किसान लोग हैं उनके लिए क्या-क्या प्रावधान होगा। उनकी रिहायश के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके बच्चों को एम्प्लॉयेबल बनाने के लिए, उनको बर्हा रहने के लिए, उनको बर्हा रखने के लिए उनका पूरा डिवेलपमेंट करना चाहिए और उनको जिन्दगी का पार्ट बनाना चाहिए ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सकें। नहीं तो वे अपराधी बनेंगे उसके बारे में मन्त्री जी ने कोई रिसर्प्स नहीं दिया।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Special Economic Zone Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 3 of the Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 19

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरी इन बातों का जवाब नहीं दिया उसके लिए जनता में एक मैसेज जायेगा कि सरकार इसको करना ही नहीं चाहती। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि इस बारे में बताया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ने एक क्रान्तिकारी नीति भूमि अधिग्रहण की बनाई थी। यह सही बात है कि पिछले छः वर्षों में 20000/- 10000/- और 40000/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदकर भूमि का अधिग्रहण किया गया। स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार का गठन होते ही पहला कदम यह था कि जो भूमि अधिग्रहण की नीति पिछली सरकार ने बनाई है उसको बदलने का काम किया था। स्पीकर सर, इस नीति की चर्चा सदन में माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री मण्डल के सदस्यों द्वारा कई बार की जा चुकी है और हमने आश्चर्य किया है कि दिल्ली और चण्डीगढ़ की पैरीफेरी की जो जमीन एक्वायर की गई है उन किसानों को 17-18 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा और जो आम जमीन है उसका मुआवजा भी 5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फिक्स किया गया है लेकिन सोलोशिफ़ और अतिरिक्त ब्याज को लगाकर उस जमीन का भी 7-8 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल जायेगा। स्पीकर सर, मैं दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो हमारे पड़ोसी प्रान्तों के अन्दर सारे प्रान्त में दिल्ली की जमीन के बराबर मुआवजा देने का साहस चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दिखाया है और इससे 800 करोड़ रुपये एक्सप्रेस हाईवे के कॉम्प्लेक्स का भी बढ़ा है हमने वह कड़वी गोली भी खाई है इसलिए कि हरियाणा के किसानों की जमीन एक्वायर की गई है और उन किसानों को उनकी जमीन का पूरा मुआवजा मिला है। जब भी किसी भी प्रान्त की तरफकी होगी, भाखड़ा बांध पंडित जी ने बनवाया था, आप सभी उसमें थिटनेस थे, सुरजेवाला जी भी थिटनेस थे। बहुत सारे लोगों को अपनी जमीन से मरहूम होना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, स्पेशल इकॉनॉमिक जोन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें शायद काफी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, एक तो एच०एस०आई०डी०सी० का है जो तकरीबन 3000 एकड़ का है, रिलायंस से अभी हमारी चर्चा चल रही है, मैमोरेण्डम आफ अंडरस्टैण्डिंग हुआ है वह कितने हजार एकड़ में बनेगा यह निश्चित होना अभी बाकी है, बाकी सब प्रोजेक्ट केवल सैकड़ों एकड़ भूमि के अंदर हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों को उचित मुआवजा देंगे। यह भी कोशिश करेंगे कि स्थानीय लोगों को इसमें समाविष्ट करने का प्रयास करें और मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को आश्वासन देता हूँ उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैंकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो हरियाणा म्यूनिसिपल (सिकेंड अमेंडमेंट) बिल लेकर आए हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं इस बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। इस प्रकार का संशोधन ग्रामीण पंचायत ऐक्ट में भी वाजिब है क्योंकि दूरसंचार विभाग में जो क्रांति आई है, इस सिस्टम के अन्दर मोबाइल फोन आए हैं, लैंड लाइन फोन आए हैं, टेलीविजन के चैनल्स आए हैं, इन सबकी जरूरत देहात में भी यूँ ही है। आज सारे प्रदेश में हालत यह है कि हर शहर में कुछ लोगों ने चैनल्स चलाने के लिए अपने गैंग बना रखे हैं और उनका आपस में भारी झगड़ा होता है और वे लाखों रुपये कमाते हैं, शहरों की हालत बहुत बुरी है लेकिन व्यक्ति विशेष की जेबें गरम हो रही हैं। कोई भी हरियाणा का शहर ऐसा नहीं जिसकी हालत आज ठीक हो क्योंकि शहरों को पिछले 5 सालों में बुरी तरह नैगलेक्ट किया गया है। मैं सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को और सारे मंत्रियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शहरों की दशा सुधारने के लिए यह मामला टेक अप किया। मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं मैं इनको कहना चाहूँगा कि शहरों में हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाए क्योंकि उससे गरीब आदमी बहुत तंग है उसके रेवज में जो इस किस्म के सिस्टम हैं, जो चैनल्स इस स्थापित करना चाहते हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाए। जो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी हालांकि 2001 में टावर लगाने के लिए नीति बनाई गई थी, पिछली सरकार ने 4 साल धरबाद कर दिए, सरकार ने इस बात पर सोचने की जहमत नहीं उठाई कि तुमने नीति तो बना दी है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे उसके लिए बॉय लाज नहीं बनाए। हमारी सरकार के मंत्री जी बैठे हैं, बड़े समझदार हैं, इन्होंने यह सोचकर कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इसके लिए बॉय लाज बनाने के अधिकार दिए और एल०आर० से इस बारे में सुझाव मांगे। एल०आर० ने जब सुझाव दिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, इस नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तब जाकर इस अमेंडमेंट की बात आई। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि गैंगस्टर्ज को खत्म किया जाए और नगर पालिकाओं की इन्कम को बढ़ाया जाए ताकि शहरों के अन्दर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वे ज्यादा से ज्यादा दी जाएँ। अब मैं गोहाना शहर की बात करना चाहता हूँ मैं सुबह प्रश्न काल में भी कहना चाहता था लेकिन प्रश्न काल खत्म हो गया, विपक्ष के भाइयों की मेहरबानी हुई कि उन्होंने हाउस चलने नहीं दिया। मैं सिर्फ गोहाना की बात नहीं करता, मैं सभी शहरों की बात करना चाहता हूँ, गोहाना से चारों तरफ सड़कें जाती हैं और गोहाना असलियत में हरियाणा स्टेट का सेंटर है अगर जरीब रखकर माप लें तो हरियाणा का बीच या तो गोहाना है या किलोई है और कोई नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गोहाना से एक सड़क जींद की तरफ जाती है, एक सड़क जुलाना की तरफ जाती है, एक सड़क रोहतक को जाती है, एक सड़क सोनीपत को जाती है, एक सड़क पानीपत को जाती है और एक सड़क सफीदों को जाती है।

और आगे जींद को भी सड़क जाती है। (विघ्न) बंद कहीं नहीं होती आगे बार्डर तक जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस ऐक्ट के अंदर यह प्रावधान होने के बाद बाकायदा इसका प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाये कि जो केबल आप्रेटर टी०वी०के प्राइवेट चैनल दिखाते हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। वे लोग जगह-जगह अपने डंडे गाड़कर 10-10 कि०मी० तक केबल की तारें ले जाते हैं। इससे दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। गांवों के अंदर भी इस तरह के केबल आप्रेटर के टी०वी०के धमल चल रहे हैं जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सब के सब इल-लीगल चल रहे हैं। इसलिए ग्राम पंचायत एक्ट में भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को इकम भी होगी और चैनल मँग भी खत्म होंगे और ऐसा होने से गुंडागर्दी भी किसी प्रकार की नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इस सिस्टम को चलते हुए बहुत साल हो गए हैं लेकिन इसको पहले रोकने के लिए किसी ने कोई सिस्टम नहीं बनाया। अब इसको रोकने के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो केबल आप्रेटर चैनल दिखाते हैं वे केबल की तारें बिछाते समय सड़कों को भी तोड़ते हैं। कभी बिजली वाले, कभी टैलीफोन वाले और कभी केबल लगाने वाले सड़कें तोड़ देते हैं। इसलिए इन सभी विभागों के बीच आपस में को-ऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि सारा सिस्टम ठीक चले इससे सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा, इकम अधिक होगी और लोगों को अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। यही बात मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

श्री ए०सी० चौधरी (फरीदाबाद) : स्पीकर सर, जो अमेंडमेंट लाई गई है यह वक्त की जरूरत है लेकिन दो-तीन बातें मैं इस बारे में आपके माध्यम से सरकार की नॉलेज में जरूर लाना चाहूंगा। एक तो जितनी भी ये एजेंसीज हैं जो केबल डाल रही हैं या बाकी काम कर रही हैं वे सड़कें तोड़ती हैं और उससे पहले वे रूलज के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटिज में पैसा भी जमा करवाती हैं। लेकिन आज तक इतिहास इस बात की साक्षी है कि पैसा जमा नहीं हुआ। पैसा जमा होता तो अलग बात है लेकिन जहां पैसा जमा भी हुआ है वहां खुदाई की हुई सड़कों की मुरम्मत कमी नहीं हुई। इसका नतीजा यह निकलता है कि लोगों को बेयजह असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस बारे में मैं भंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि केबल वगैरह डालने के लिए जहां भी खुदाई की जाए उसकी मुरम्मत एक टार्गम प्रेम में होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी सरकार में लोग कम विश्वास करेंगे। दूसरी बात मैं म्यूनिसिपल कमेटिज के रूलज और बायलाज के बारे में कहना चाहूंगा कि जितनी भी नई कमेटिज और कारपोरेशन बनी हैं आज एक ऐक्ट के तहत उनकी जितनी भी रिजिस्ट्रिजिट हैं कि रूलज बनें, बायलाज बनें, नहीं बने हैं। बहुत सी कारपोरेशन को तो बने हुए पांच-पाँच, दस-दस साल हो गए हैं जिनके अभी तक न रूल बनें हैं और न बायलाज बने हैं। इतना ही नहीं बहुत सी जगह पर तो बजट भी नहीं बना और पांच साल तक कर्मचारियों को ऐसे ही तनखाह दी गई है और कोई बैंक करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब कोई ऐसा सिस्टम बनाये कि जो जनहित के काम हैं उनकी लेजी मिले, गति मिले और ठीक तरह से वे कार्य संपन्न हों ताकि लोगों से सरकार को प्रशंसा मिले और लोगों को आम सुविधाएं सरकार दे पाये। अध्यक्ष महोदय, यही दो बातें मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

श्री० छत्तर पाल सिंह (धिराय) : स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा देहाल से ताल्लुक रखता है लेकिन मेरी रिहायश अर्धन एरिया में भी है। वहां पर मैं पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री को मेरे खड़े होते ही इस पर शायद एतराज हुआ हो और मेरी

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

तरफ मुंह करके कहने लगे कि आपका शहर से क्या ताल्लुक है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के पिता श्री और इस सदन के सदस्य चौधरी रामशेर सिंह सुरजेवाला जी ने देहात से मुक्तलिक थिसाए जाहिर की थी उस समय उस बिल पर मैं भी बोलना चाहता था और मेरी थिला उससे जुड़ी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा गरिमाओं की मास्टर है। आपने अपोजिशन पार्टी के बारे में बड़ी ऐहतियात बरली। आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं। देहात और शहरों के बारे में पूरी संवेदनाओं के साथ संसदीय रिसिटिविटी के अन्दर भी ऐहतियात बरती जाए। देहात को एम०सी० ऐरियाज में कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा फैसला है जिसमें इक्नॉमिक जोन की चर्चा की गई है। म्यूनिसिपल ऐक्ट में तरनीम करने की बात जो आप कह रहे हैं इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल लिमिट्स बढ़ती भी रहती है और उनके साथ नजदीक के देहात जुड़ते रहते हैं लेकिन यह इक्नॉमिक जोन विशेषतौर पर प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। शहरों के अन्दर हरियाणा के देहात का व्यक्ति भी रहता है। जिस प्रकार से हम तरक्की कर रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं, हमारा छोटा सा प्रान्त है, उससे जल्दी ही इस राज्य का अर्बनाईजेशन भी हो जाएगा। उन्होंने इसमें दो चीजें प्वायंट आउट की थीं एक तो सरकार उन ऐरियाज की तरफ आगे बढ़ सकती है जो कि पिछड़े हुए इलाके हैं और दूसरे ऐसे इलाके हैं जो ऑलरैडी डिवैल्पड इलाके हैं। जो रिमोट ऐरियाज हैं जहां पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहां पर लेण्ड के रेट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं इसके बावजूद भी मंत्री महोदय का जवाब तसल्लीबख्श नहीं होता। स्पीकर साहब, जो वातावरण होता है उसको भी आप अच्छी तरह से समझते हैं कि सदस्यों ने जो बातें उठाईं उनके स्पष्ट जवाब नहीं आए उसके बावजूद भी आप भेटर को जम्प करवा देते हैं। स्पीकर साहब, जब आप इतनी संवेदनाओं के साथ काम कर रहे हैं और इस हाऊस को चला रहे हैं। आप स्टेट की डिवैल्पमेंट के लिए भी चिन्तित हैं तो मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस बात की ओर दिखाना चाहूंगा कि सदस्यों द्वारा जो भी चिन्ता जाहिर की जाती है सरकार उस पर ध्यान दे। सरकार जो बिल लेकर आई है उसको पास तो करना ही करना है। सरकार अच्छी मन्हा से यह बिल लेकर आई है सरकार इस बिल को पास भी करवाएगी। (विधन)

Mr. Speaker : Are you discussing me on the Bill ?

Prof. Chhattar Pal Singh : I am discussing on the Bill, Sir.

प्रो० छत्तर पाल सिंह : सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो परियोजना है इसमें देहात के बच्चों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि आप उनके कल्चर तथा प्रोफेशन को चेंज कर रहे हैं। यदि सरकार इस बात पर इम्फेसाईज करे और उनको टैक्नीकली इतना ट्रेड कर दें कि आप जो परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं उसके लिए आवश्यक मैनपावर उन्हीं में से प्राप्त हो जाए। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जितनी भी मैनपावर की जरूरत है वह हरियाणा में से ही ली जाए। आप जो बिल लेकर आ रहे हैं इससे जो परिवर्तन होने चाहिए उसमें हमारी टोटल कन्जम्पशन हो और इसमें मैनपावर हरियाणा के लोगों की ही यूज हो। इसी दिशा के अन्दर मेरा सुझेशन था। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय इससे रिलेवेंट जवाब दें। धन्यवाद सर।

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल में सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि म्यूनिसिपल कमिटीज की वित्तीय स्थिति का जरूर ध्यान रखा जाए। हरियाणा में बहुत सी ऐसी म्यूनिसिपल कमिटीज हैं जिनकी वित्तीय हालत बहुत कमजोर है। जैसे भिवानी की म्यूनिसिपल कमिटी है वहां की हालत यह है कि कर्मचारियों को दो-दो, तीन-तीन महीनों तक वेतन भी नहीं दिया जाता। सुरजेवाला जी ने भी इस बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। मेरे क्षेत्र में जैसे 41 कालोनीज पास हो गयी हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर सड़कों, बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन म्यूनिसिपल कमिटीज की फाईनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर है उनको विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। भिवानी की म्यूनिसिपल कमिटी भी ऐसी ही एक कमिटी है इसलिए वहां के लिए भी विशेष पैकेज देने की मांग मैं सरकार से करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द भक्कड़ (हांसी) : अध्यक्ष महोदय, आपका मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने जो यह बिल पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा को नम्बर वन स्टेट बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है तो जब तक शहरों की सफाई नहीं होगी और जब तक शहरों के अंदर पूरी सहूलियतें नहीं थी जाएंगी तब तक मैं समझता हूँ कि हमारा यह काम अधूरा ही रहेगा। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि वे इस बारे में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वे पिछले दिनों हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए विदेशों में भी जाकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को इन्वाइट करके आये हैं और वहां से लोग आनी इंडस्ट्री लगाने के लिए यहां पर आ भी रहे हैं। मैं अपने हांसी शहर के बारे में प्रार्थना करना चाहूंगा कि पहले वहां पर एक स्पीनिंग मिल लगी हुई थी। उस मिल से म्यूनिसिपल कमिटी को भी बड़ी आमदनी होती थी लेकिन पिछली सरकार ने उस मिल को बंद करके हजारों मुलाजिमों को बेकार कर दिया और साथ ही ऐसा होने की वजह से वहां की म्यूनिसिपल कमिटी की आमदनी भी घट गयी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हांसी में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगायी जाएं ताकि वहां की कमिटी की आमदनी बढ़े। जब तक म्यूनिसिपल कमिटी की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी शहर तरक्की नहीं कर सकता। आज उनकी हालत यह है कि कर्मचारियों की तनख्वाहें भी पूरी नहीं दी जा रही है। जैसे हाउस टैक्स है या दूसरे टैक्स है जिनके बारे में मलिक साहब ने भी बताया कि हाउस टैक्स गरीब आदमी नहीं दे सकते। हाउस टैक्स दस-दस सालों से उनकी तरफ बकाया पड़ा हुआ है। लेकिन वे मजदूर हैं क्योंकि उनके पास यह टैक्स देने के लिए साधन नहीं है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को कोई न कोई प्रावधान जरूर करना चाहिए ताकि गरीबों को कुछ सहूलियतें मिले। वे लोग यह टैक्स नहीं भर सकते। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ शहरों की तरक्की के लिए सड़कों का और सीवरेज का प्रावधान करना भी जरूरी है। पुराने सीवरेज जो 25 या 30 साल पहले लगे थे उन्होंने अब काम करना बंद कर दिया है। शहरों की आबादी दो-दो गुणा या तीन-तीन गुणा बढ़ चुकी है इसलिए वे सीवरेज अब काम नहीं कर रहे। जब बारिश पड़ती है तो वे सीवरेज बंद हो जाते हैं और सारे शहर में पानी फैल जाता है इसलिए मेरी मांग है कि शहरों के लिए दोबारा से सीवरेज का प्रावधान किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत न आए। शहरों के लिए दोबारा से सीवरेज बनाने की स्कीम बनायी जानी चाहिए। इसी प्रकार से शहरों में पीने के पानी की भी दिक्कत है। हांसी में दूसरा वाटर वर्क्स लगाने की स्कीम सरकार के पास है मैं चाहूंगा कि वह वाटर

[श्री अमीर खन्द मक्कड़]

दक्स लगाने का जल्दी प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि हांसी शहर के लोगों को पीने का पानी मिले। आज वहां पर कई-कई कालोनियों में पीने का पानी नहीं पहुँचता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी मिले। इसके साथ ही साथ जहां तक सड़कों का सवाल है। अगर कोई भी दूसरा महकमा अपनी स्कीम को पूरा करने के लिए सड़कों को तोड़ता है तो उनको यह आदेश होना चाहिए कि अगर आप इस तरह से सड़कों को तोड़ेंगे तो आपको ही यह ठीक करनी पड़ेगी। महकमें विकास के कामों के लिए सड़कें तोड़ तो देते हैं लेकिन बाद में वह सड़कें कई सालों तक टूटी पड़ी रहती हैं। इसी तरह से आज बच्चों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हांसी में सन 1985 में एक कालेज नेहरू के नाम से बना था। उस समय उसमें एक ही ब्लॉक बना था। आज वहां पर दस गुणा बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है लेकिन वहां पर दूसरा ब्लॉक नहीं बनाया गया। मैंने चीफ मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना की थी कि दूसरा ब्लॉक जल्दी बना दें ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए सहूलियत हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका और जिन्होंने बिल पेश किया है उनका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, जितने भी बिल आज पेश हुए हैं मैं उनका अनुमोदन करता हूँ। आज जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथी सदस्यों का व्यवहार इस सदन में रहा है उसकी निंदा करता हूँ अपने हल्के की कुछ समस्याओं से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। नगरपालिका खरखीदा में पिछले नौ महीने से न सैक्टररी है न कोई क्लर्क है। बजट तो है लेकिन बजट को खर्च करने वाला कोई नहीं है। नगरपालिका खरखीदा में क्लर्क और सैक्टररी की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा जितनी अवैध कालोनियां हैं उनका फायदा तो कालोनाइजर्स उठा गए और उनमें जो रहते हैं गरीब, हरिजन, बैकवर्ड क्लासिज के लोग और छोटे किसान, वे उनका फायदा नहीं उठा सके। उन कालोनियों को अथोराइज किया जाए और उनमें बिजली, पानी आदि की सुविधा दी जाए। जो साहूकार लोग हैं वे सैक्टरों में 500-1000 गज के प्लॉटों में रहते हैं और जो गरीब लोग अवैध कालोनियों में रहते हैं इनमें कांग्रेस के भी काफी सारे वोटर हैं। एक इंडस्ट्रियल के बारे में इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित करने के लिए एक बिल पास हुआ था, उसमें इंडस्ट्रियल पोलिसी के तहत देहातों का लाल डोरा बढ़ाया जाए क्योंकि इंडस्ट्री लगने से उनके आसपास जो फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं वे किराएदार बहुत आ जाते हैं और उनके रहने की समस्या आ जाती है इसलिए लाल डोरा बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था। 20 साल हो गए लेकिन दिल्ली से प्रदूषण नहीं हटा। हम चाहते हैं कि हरियाणा को पहले ही प्रदूषण रहित करके आगे धरें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

The Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

The Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

—————

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असेम्बली स्पीकरज एंड डिप्टी स्पीकरज सैलरीज एंड
अलाउंसिज (अमैडमेंट) बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title**Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, a Minister will move that the Bill be passed.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

**दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (अमेंडमेंट)
बिल, 2005.**

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई) : धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मंत्रियों के वेतन बढ़ाने की बात है। स्पीकर सर, मैं यह समझता हूँ कि जो वेतन बढ़ाने की बात की जा रही है वह थोड़ी है क्योंकि आजकल सभी पोलिटिकल आदमी की चार-चार जगह इस्टेब्लिशमेंट होती हैं। चण्डीगढ़ में, अपनी काँस्टीच्युएन्सी में और अपने निवास स्थान पर रहते हैं। यह तो matter of conviction है कि पोलिटिकल ऐकसपेंसिज मंत्रियों के विधायकों से ज्यादा रहते हैं। इतने ज्यादा घूमते हैं कि डीजल का खर्चा ही महीने में 30-40 हजार रुपए आ जाता है। आज गाड़ियों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। आपको

[श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान]

पता है कि एक पौलिटिकल आदमी के घर 400-500 आदमी दिन में आते हैं जिनको चाय पिलाने का खर्चा भी होता है। इसलिए मेश आपसे अनुरोध है कि अगर वेतन बढ़ाने हैं तो ढंग से बढ़ाएं वरना तो सारा ही चापस ले लें हमें कोई ऐतराज नहीं है। जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही अब रह लेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 100/- रुपये का भत्ता बढ़ाना बहुत कम है हमारी दुर्दशा पर ध्यान दें और भत्ता ज्यादा बढ़ाया जाए। धन्यवाद।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर सर, हमारी सोच हिपोक्रिट बहुत है हम ऊपर से कुछ और हैं और असलियत में कुछ और हैं। मुझे यह कहते हुए डर लगता है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा थाहे इसमें कोई बुरा समझे या थाहे कोई अच्छा समझे। लेकिन अगर हम ईमानदारी की बात करें तो मंत्री की तनख्वाह कम से कम एक लाख रुपये प्रति माह होनी चाहिए और एम०एल०ए० की तनख्वाह 50 हजार रुपये प्रति माह होनी चाहिए। अगर बेईमानी की बात करनी है तो हमारे से एक लाख रुपये घर से ले लें और हमें एम०एल०ए० बना दें। लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कम्पैल नहीं कर सकते। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि इसके लिए हाई कमाण्ड ऐतराज करेगी या अखबार वाले कुछ और लिख देंगे। लेकिन अखबार वालों को भी पता है कि आज एक आदमी का कितना खर्चा है। मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी शाम को आपके घर, किसी मंत्री के घर या किसी एम०एल०ए० के घर आ जाये तो आप उसको यह तो नहीं कह सकते कि मेरे घर पर क्यों आये हो। उसके बाद उसको खाना भी खिलाना पड़ता है। इस बारे में सभी को पता है कि किसी को इस प्रकार इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह हिपोक्रैसी है, हम नहीं कर रहे हैं, अगर ईमानदारी को रखना है, लोगों को ईमानदार रखना है तो सच्चाई को फेल करना पड़ेगा।

श्री नरेश मलिक (बादली) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय जी को भी कहना चाहूंगा और मैंने बी०ए०सी० की मीटिंग में भी कहा था, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत यह है कि ईमानदारी से एम०एल०ए० का खर्चा देख लें तो वह बेचारा रोज कम से कम 200 लोगों को 200 कप चाय पिलाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नरेश मलिक जी, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Clause 3**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, a Minister will move that the Bill be passed.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री रामकुमार गौतम (नारनाँद) : अध्यक्ष महोदय, ये जो मंत्रियों और एम०एल०एज० की बात मेरे से पहले कई साथियों ने कही यह बिल्कुल सही बात है। अगर असलियत में ईमानदारी से चलें, नेकनियती से चलें तो किसी का भी खर्चा लाख रुपये से कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेवलिंग अलाउंस भी सवा लाख रुपए की बजाय ज्यादा हो जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि असलियत में ईमानदारी से रोजाना रोटेशन देखें तो इससे कम खर्च का तो कोई मतलब ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई चौबीरेन्द्र सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, मुख्यमंत्री जी और बीरेन्द्र सिंह जी दोनों माइनों की जोड़ी छोटे बड़े भाई की है। मैंने इनको इनकी कोठी पर याद दिलवाया था कि आपने ब्यान दिया था कि हर एम०एल०ए० की कंस्टीच्यूसी ग्रांट 50 लाख रुपये करेंगे। आपने ब्यान दिया था। (शोर एवं व्यवधान) आप महसूस न करें और सुनें। आप किसी को हैंडोकेपड न बनाओ। अध्यक्ष महोदय, एम०पी०ए० की भी कंस्टीच्यूसी ग्रांट 2 करोड़ रुपये है। पंजाब में भी यह ग्रांट है और दूसरी स्टेट्स में भी है। मुख्यमंत्री महोदय जी, एम०एल०ए० की कंस्टीच्यूसी ग्रांट एक करोड़ रुपये करके अच्छा नाम लिखवा जाओ। किसी ने क्या करना है सिर्फ इतना ही बताना है कि ये सड़क बना दो, यह गली बना दो। कोई एम०एल०ए० गांव में जाएगा तो गांव में उसकी इज्जत हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक एम०एल०ए०

[श्री रामकुमार गौतम]

जी हजूरी करता फिरे कि भाई बीरेन्द्र सिंह जी, भाई हूडा जी मेरे गांव की थड गली बना दो, यह सड़क बना दो तो मैं कहना चाहूंगा कि as a matter of right यह दिन तो सबने देखना है। अब की बार जो भाई काचे काट रहे हैं अगले गेड़े में पता नहीं उनके साथ क्या बीतेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा पक्का कानून बनाओ जो आगे के लिए कानून बन जाए और एक अच्छी रियायत बन जाए ऐसी मेरी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

**वि हरियाणा लैजिस्लेटिव असेम्बली (अलाउंसिज एंड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज)
सैकिण्ड अमेंडमेंट बिल, 2005**

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2005.

Sir, I also move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री धर्मबीर गावा (गुडगांव) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट लाई गई है इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं भी आपके माध्यम से एक-दो बातें कहना चाहूंगा कि विधायकों की डेली 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई है इससे क्या फर्क पड़ता है जो 100 रुपये की बढ़ौतरी की गई है, 100 रुपये की तो लोग हर रोज बीड़ी पी जाते हैं इसलिए इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि विधायकों की डेली 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की जाये। दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि जो 1.25 लाख रुपये विधायकों को सालाना ट्रेवलिंग एलाउंस के फैमिली के साथ दिए जाते हैं उनको भी बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये किया जाये। 2.00 लाख रुपये करने से टोटल 60 लाख रुपये का फर्क पड़ता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष का नेता भी रहा और विधायक भी रहा। उस समय से ही ट्रेवलिंग एलाउंस 1.25 लाख रुपये सालाना है। विधायकों को बहुत ज्यादा इधर-उधर जाना पड़ता है इस बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो जो इसके लिए बिल देना पड़ता था वह अब नहीं देना पड़ेगा और इसको 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये सालाना किया जाता है इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि विधायकों को जो 8 रुपये प्रति कि०मी० दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 10 रुपये प्रति कि०मी० कर दिया गया है।

चौ० अर्जन सिंह (छठरौली) : अध्यक्ष महोदय, जो ये 100 रुपये डेली अलाउंस के बढ़ाये हैं इसको भी अधिक किया जाये।

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : मुख्य मन्त्री जी की तरफ से तीसरी घोषणा भी है। सभी साथी कमेटी रूम में से अपने-अपने नए आई०बी०एम० के कम्प्यूटर्स तथा बढ़िया प्रिंटरों साथ लेकर जाएं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जिनको कम्प्यूटर्स चलाने नहीं आते उनके लिए स्पेशल कम्प्यूटर क्लासिज का प्रावधान हम करेंगे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैम्बरज ने अपनी बात कही कि एम०एल०ए० की इतनी तनखाह होनी चाहिए लेकिन मैं एक टेक्नीकल बात का जिक्र करना चाहूँगा। लोग हमसे भी पूछते हैं कि मैम्बर की तनखाह कितनी है। हम लोगों को ऐ०आई०सी०सी० से भी एक लैटर आया है कि एक नहीने की तनखाह भेजो। मैं खुद भी इस बात को लेकर पज़ल हो गया क्योंकि हमारी तनखाह तो है ही नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सभी की तनखाह है लेकिन हमारे तो सिर्फ अलांसिज हैं। यह बात सही है कि कहीं पर भी हमारी तनखाह नहीं है, उसका कोई प्रावधान नहीं है लेकिन जो टेक्नीकल बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि एक तरफ तो अलांसिज है तनखाह नहीं है दूसरी तरफ पेंशन की बात है when there is no pay no salary, there is no question of pension.

चौ० अर्जन सिंह : स्पीकर सर, जितने भी प्रस्ताव पास किए हैं मुझे तो यह पता ही नहीं है कि क्या पास किया है क्योंकि आपने सभी बिल अंग्रेजी में पास किए हैं और जो भी पास किए हैं मैं उन सब से सहमत हूँ और सरकार की सब एक्टिविटीज़ से भी सहमत हूँ। सरकार की मन्शा बहुत अच्छी है और जो कुछ पास किया गया है वह सब ठीक है और मैं उन सभी से सहमत हूँ। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की भी कुछ बात कहना चाहता हूँ इसलिए यह निवेदन है कि आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : हल्के की बात इस समय नहीं आएगी इसलिए अभी आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

चौ० अर्जन सिंह : ठीक है जी।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

— Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब पैसेजर्ज एंड गूड्स टैक्सेशन (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, the Transport Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, a Minister will move that the Bill be passed.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***दि हरियाणा फिस्कल रिस्पॉसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट)
बिल, 2005.****Mr. Speaker :** Now, a Minister will introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.**Finance Minister (Shri Birender Singh) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2005

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा फिस्कल रिसपॉसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2005 माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है कि सरकार के अंदर जो पब्लिक अंडर टेकिंग है, गवर्नमेंट इस्टीमेटेशन है या दूसरे संस्थान हैं उनमें जो फिजूलखर्चियां हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लॉज 3 (iii) (e) में इन्होंने कहा है कि—

“Bring out special reports along with the budget giving details of number of employees in Government, public sector and aided institutions and their related salaries”.

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी बहुत ही अनुभव रखते हैं। मैं और सारा सदन उनसे उम्मीद रखते हैं कि इस बिल के माध्यम से जहां उन्होंने पब्लिक अंडर टेकिंग के उन अधिकारियों की बात की है जिनको सैलरीज दी जाती है तो कई पब्लिक अंडर टेकिंग ऐसी हैं जिनके अंदर हमें यह विचार करना है कि जो हमारे आई०ए०एस० या ए०सी०एस० अधिकारी हैं जो इनको चलाने में लगे हुए हैं, अगर वे इनको ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं तो उनकी जगह पर टेक्नीकल ओफिसरज लगाने चाहिए और उनकी सैलरीज के बारे में भी सोचना चाहिए। इससे पब्लिक अंडर टेकिंग का जो घाटा है वह पूरा हो सकता है और इसी के साथ-साथ प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। शूगर मिलज में या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो रोडवेज की वर्कशाप हैं, रोडवेज को चलाने की जो डिपोज हैं उनके लिए टेक्नीकल आधमी लिए जा सकते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या प्रदेश के अंदर जो दूसरे टेक्नीकल डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर बहुत से टेक्नीकल लोगों को लगाया जा सकता है। जब आप यह फिस्कल रिसपॉसिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं तो यह जरूरी होना चाहिए कि जहां कहीं पर भी किसी अधिकारी ने विभाग को चलाने में अनियमितताएं बरती हैं, डेलीब्रेटली डिपार्टमेंट का नुकसान किया है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है तो उनकी न सिर्फ रिसपॉसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए बल्कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। उनकी सैलरी से वह तमाम पैसा रिकवर करने का भी प्रावधान इनको करना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने का भी प्रावधान करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स को ठीक तरह से चलाने के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर मर्यादाएं कायम की जानी चाहिए, नियमों में बदलाव करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर जैसे सरकारी महकमों के भवन बनाए जाते हैं और सड़कें बनायी जाती हैं तो हर सड़क पर और हर भवन के बाहर इनको नियमों में बदलाव करके एक बोर्ड लगाना चाहिए कि किस भवन पर कितना पैसा खर्च होने जा रहा है, उसका इंजीनियर कौन होगा, उसका टेकेदार कौन होगा और कितने साल तक कौन सा काम उस भवन में या उस सड़क पर दोबारा से नहीं करवाया जाएगा और अगर यह काम दोबारा से करना पड़ा तो उस वक्त के अधिकारियों के खिलाफ, उस वक्त के टेकेदारों के खिलाफ क्या ये रिसपॉसिबिलिटी फिक्स करने का प्रावधान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब कोई डिपार्टमेंट या कोरपोरेशन ठीक नहीं चलते हैं तो वहां के अधिकारियों को और कर्मचारियों को रिट्रैक करने की

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

नौबत आ जाती है और उनको रिट्रैच किया भी जाता है, इससे सरकार की बदनामी भी होती है। रिट्रैचमेंट कर्मचारियों को या दूसरे अधिकारियों को स्थापित करने के लिए दोबारा से सलूलियतें देने के बारे में भी इनको एक कमेटी बनायी चाहिए। एक इस बिल के अंदर Statement of Objects and Reasons में जो आपने लिखा है। वित्त मंत्री जी, यह सदन आपसे और मुख्यमंत्री जी से यह उम्मीद करता है कि जहां आप अमेंडमेंट ला रहे हैं वह अच्छी बात है लेकिन इस अमेंडमेंट में जो एक बहुत ही अच्छा काम है उसको आप हटाने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि—

“Secondly, there is a provision for setting up an agency independent of the State Government to review periodically the compliance of the provisions of the Act.

यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार विभाग के हर अद्यक्षर में पारदर्शिता लाने में लगी हुई है। मैं वित्त मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी न केवल रखने की जरूरत है बल्कि मजबूत बनाने की जरूरत है। इस इंडिपेंडेंट एजेंसी को इतने अधिकार देने चाहिए जिससे पूरा शिकंजा विभागों पर, अधिकारियों के ऊपर और उनके कार्यों के ऊपर वह रखे। जहां कहीं भी गलत काम होते हैं वहां न सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिक्स करें बल्कि पूरे कानूनी तौर पर उसकी रिकवरी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और एक स्पेशल रिपोर्ट भी हो, वह विभाग विधान सभा को देने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : स्पीकर सर, दलाल साहब ने जो बात उठाई है मैं इनके समर्थन में बोलना चाहता हूँ। इसमें छह महीने पहले अमेंडमेंट लाए थे और वित्त मंत्री जी ने 6 महीने पहले यह नया ऐक्ट बना है, उसके अंदर प्रावधान किया था, “There shall be an agency independent of the State Government. What has happened after six months that you want that it should be omitted.” छह महीने के बाद क्या हो गया, क्या ऐसे कारण बन गए कि पहले इंडिपेंडेंट एजेंसी का प्रावधान किया, अब उसको ओमित करना चाहते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी का पता लगेगा। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हमारी सरकार का नारा है ‘Everything should be transparent.’ सबको पता लगे कि गवर्नमेंट इसे किस वजह से लाई है।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सेशन में यह नया ऐक्ट बना था और इसको बनाने का कारण सिर्फ यह था कि 12th फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमंडेशंस की थी और स्टेट्स की सरकार के लिए इसमें कुछ गार्डिलाइंस तय की गई थीं। उन गार्डिलाइंस के मद्देनजर यह ऐक्ट बनाना हमारे लिए अनिवार्य था क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12th फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन पर आधारित शर्तें तय की थी उसमें मोटे तौर पर यह था कि राज्यों का जो फिस्कल मैनेजमेंट, वित्तीय जो प्रबंधन है उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसके लिए यह तय किया था कि अगले 5 साल में 2008-09 तक जो रेवन्यू रिसीट्स का एक्सपेंडीचर डेफिसिट है वह जीरो होना चाहिए, तब हमारे को कुछ कंशेशन देंगे। इसी प्रकार से फिस्कल डेफिसिट तीन परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने जब इसको ऐक्ट की शक्त में दिया तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जिस आधार पर हमने यह बनाया था उसमें कुछ संशोधन के लिए लिखा था कि इसमें कुछ संशोधन कीजिए। वह जो संशोधन उन्होंने पहले किया था सिर्फ वही

संशोधन हम इस ऐक्ट में लेकर आए हैं। इसमें आपने जो आपत्ति की है वह यह है कि इंडिपेंडेंट ऑफ दि स्टेट गवर्नमेंट। सर, हमने इस पर जो प्रावधान किया था इस पर भी उन्होंने आपत्ति की 18.00 बजें थी। लेकिन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी का गठन किया है। जो लोग सरकार से संबंधित नहीं हैं उनको भी इस कमेटी में रख सकते हैं। लेकिन बिचकुल ही अलग कमेटी बना दी जाए यह संभव नहीं है क्योंकि बजटिंग के संबंध में बहुत सी सिक्रेट ऐसी चीजें हैं जो ऐसी कमेटी को जिसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है उन बातों को उस कमेटी के सामने डिसकलोज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के निर्देश हमें भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय से मिले थे। उन निर्देशों की हमने पालना की है। दूसरी बात एक प्राइवेट इन्टीच्यूशंस के बारे में कही गई कि जो प्राइवेट कालेजिज या गवर्नमेंट एडिड स्कूलज हैं जिनको सरकार की तरफ से 95 प्रतिशत ग्रांट दी जाती है। ऐसी संस्थाएं जिनको चलाने के लिए सरकार मदद करती है। इन सब बातों को मध्यनजर रखते हुए कारपोरेशंस और बोर्डस की यह सारी पिक्चर हमने सदन के सामने रखी है ताकि उनका हिसाब-किताब सदन के सामने आ सके। इसलिए कारपोरेशंस और बोर्डस को भी हमने इस दायरे में लिया है ताकि सदन के सामने यह बात न आये कि यह तो इन्डीपेंडेंट बॉडी है, यह तो कारपोरेशन है और यह तो फंडरेशन है। एक समय ऐसी स्थिति आयेगी कि ऐक्ट के तहत इन संस्थाओं का लेखा-जोखा हम सदन के पटल पर रखेंगे। आडिट की जहां तक बात है हम तो यह चाहते हैं सारे सिस्टम को सैन्ट्रलाइज करके किसी तीसरी एजेंसी द्वारा आडिट करवाया जाये ताकि इन्टायर सिस्टम ट्रान्सपेरेंट हो जाए। लेकिन अभी हमने यह बात विभागों पर ही छोड़ दी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस बात से सहमत होंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग ने तो यह काम करना शुरू भी कर दिया है। जो डिपार्टमेंट एक्सट्रानल एजेंसी से आडिट करवाने के पक्षधर हैं चाहे वे किसी भी संस्था से आडिट करवायें तो वे डिपार्टमेंट्स अपना फैसला खुद लेने के अधिकारी हैं। रिसेन्टली ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऐसा फैसला किया है। जहां तक रिट्रैन्वड इम्प्लाइज का मुद्दा उठाया गया वैसे इसका उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सारी की सारी बोर्डस और कारपोरेशंस का लेखा-जोखा हमें उपलब्ध हो जायेगा जिसके कारण राज्य सरकार और वित्त विभाग उनको ज्यादा मोनीटर कर सकेगी। रिट्रैन्वड इम्प्लाइज की समस्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी की 4-5 मीटिंग्स हो चुकी हैं लेकिन कोई माननीय सदस्य यह कहे कि कितने समय तक यह फैसला करेंगे यह कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारी कम्प्लेसिटीज हैं। इसके लिए आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं कुछ तो आंकड़े इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत से इकट्ठे होने बाकी हैं। यह बात तो हमने अपने घोषणा-पत्र में भी कही थी कि पिछली सरकार ने जो भी अनियमितताएं या नाजायज बात की हैं उन सबको हम ठीक करेंगे और जिन कर्मचारियों को अन्याय मिला है उनको हम न्याय दिलावेंगे यह मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा मुरा बुफैलो एंड अदर मिल्च एनीमल ब्रीड (प्रीजरवेशन एंड डिवैलपमेंट ऑफ एनीमल हस्बैंडरी एंड डेयरी डिवैलपमेंट सैक्टर) अमेंडमेंट बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, a Minister will move that the Bill be passed.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेम्बली (फैसिलिटीज टू मेम्बरज)

अमेंडमेंट बिल, 2005.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, there is one more announcement that I want to make. The Hon'ble Chief Minister has directed, besides raising the limit of housing loan from Rs. 12 Lakhs to Rs. 20 lakhs in this Bill, the Government has also decided that for house loan and car loan both, the rate of interest will be reduced from 7% per annum to Rs. 4% per annum and necessary amendment will be brought in the rules.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Thanks all of you for giving me cooperation to conduct the proceedings of the House. Now, the House stands adjourned sine die.

*18.12Hrs. (The Sabha then *adjourned sine die)